Con. 3, 3-1-47
1000

अंक 3
संख्या 1

सोमवार
28 अप्रैल
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 1
अध्यक्ष का भाषण 2
कुर्ग से सद्भावना का सन्देश 12
रियासती कमेटी की रिपोर्ट 12
स्टीयरिंग कमेटी के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन 24
यूनियन के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट 27
परिशिष्ट (क) 33
परिशिष्ट (ख) 55

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 28 अप्रैल सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की प्रारंभिक बैठक का तीसरा अधिवेशन, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 अप्रैल सन् 1947 ई. को सोमवार के दिन ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

1. सर ब्रजेन्द्र लाल मित्तर (बड़ौदा)
2. श्री गोपालदास अम्बाईदास देसाई (बड़ौदा)
3. श्री पी. गोविन्द मेनन (कोचीन)
4. सर टी. विजयराघवाचार्य (उदयपुर)
5. सर वी.टी. कृष्णमाचार्य (जयपुर)
6. पं. हीरालाल शास्त्री (जयपुर)
7. श्री सी.एस. वेंकटाचार (जोधपुर)
8. श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर)
9. सरदार के.एम. पनिक्कर (बीकानेर)
10. राजा लाल शिव बहादुर सिंह (रीवां)
11. श्री लाल यधेन्द्र सिह (रीवां)
12. सरदार जयदेव सिंह (पटियाला)
13. सरदार ज्ञान सिह रारेवाला (पटियाला)
14. माननीय डॉ. कैलाशनाथ काटजू (संयुक्तप्रांत : जनरल)
15. प्रोफेसर के.टी. शाह (बिहार : जनरल)
16. श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रांत : जनरल)
17. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (बंगाल : जनरल)
18. श्री पी.एम. वेलायुदापानी (मद्रास : जनरल)

अध्यक्ष का भाषण

***अध्यक्ष:** असेम्बली के पिछले अधिवेशन के तीन महीने बाद हम आज सम्मिलित हो रहे हैं। इसी बीच कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका थोड़ा हवाला आपको दे देना में आवश्यक समझता हूं। इसके पहले मुझे इस सभा को अपने तीन मेम्बरों के निधन का शोकप्रद सम्वाद सुनाना है:

1. यू.पी. के राजा महेश्वर दयाल सेठ,

2. बंगाल के सर अज़ीजुल हक, और

3. बड़ौदा के श्री के.एल. मजूमदार।

अंत में बताये हुए सज्जन की मृत्यु से हमको बड़ा सदमा पहुंचा है क्योंकि वह बड़ी दु:खद परिस्थिति में हुई। मुझे मालूम हुआ है कि वे असेम्बली के इस अधिवेशन में भाग लेने के लिये आ रहे थे और जिस रेल के डिब्बे में वे सफर कर रहे थे उसमें आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस सभा की अनुमति से मैं उनके शोकसंतप्त परिवारों के लोगों के साथ इस विपत्ति के समय सहानुभूति प्रकट करता हूं।

इस सभा की अनुमति से मैं इस अधिवेशन में भाग लेने वाले रियासतों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि इस परिषद् ने जिस महान् कार्य का बीड़ा उठाया है उसमें सहायता देने के लिये अन्य रियासतों के प्रतिनिधि भी तुरंत ही यहां आ जायेंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस महान् कार्य को हमने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिये इस देश की सभी सन्तानों की सहायता की आवश्यकता है और आशा है कि वे सहायता करेंगे, चाहे वे रियासतों के निवासी हों या ब्रिटिश भारत के और चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों, इस देश का भविष्य बहुत कुछ उस विधान पर निर्भर है जिसे हम बनाने जा रहे हैं और इस देश के ही नहीं बल्कि संसार के सभी लोग बड़ी दिलचस्पी से हमारे प्रयत्नों को देख रहे हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में वे चिंता से मुक्त नहीं हैं, चाहे हम किसी वर्ग या जाति के हों और हिन्दुस्तान के किसी भाग के भी निवासी हों, इसकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम इस कार्य को सफल बनाने में योग दें।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

हमें अपने पड़ोस के देश बर्मा से, जो कुछ समय पहले इसी देश का एक भाग था, यह समाचार मिला है कि वहां भी एक विधान-परिषद् का निर्वाचन हो गया है और उसके भी वही उद्देश्य हैं जो हमारे हैं। क्या मुझे इजाजत है कि मैं उस प्रतिष्ठित संगठन को इस सभा की ओर से बधाई दूं और अपनी सद्भावना प्रकट करूं और यह बताऊं कि हमें इसमें बड़ी दिलचस्पी है कि उसने जो काम उठाया है वह पूरा हो और बर्मा के निवासी अपने देश को स्वतंत्र बनायें।

पिछली बार जब हम सम्मिलित हुए थे तब से अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की है कि उनका यह इरादा है कि जून सन् 1948 ई. तक शक्ति हस्तान्तरित कर दी जाये। इससे अपने काम को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता आ पड़ी है और हमें ऐसी कार्य-निपुणता से काम करना चाहिये कि हम जल्दी से जल्दी अपना विधान बना सकें। ब्रिटिश सरकार ने शक्ति हस्तान्तरित करने के लिये पहले से तैयारी करने की प्रतिज्ञा की है और जब तक वह यह काम करे हमें भी नियत तिथि के पहले ही अपना विधान तैयार कर लेना चाहिये ताकि हम अपने बनाये हुए विधान के अनुसार जिम्मेदारी ले सकें। इसलिये मुझे आशा है कि यह परिषद् शीघ्रातिशीघ्र अपना काम करेगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस परिषद् को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प से काम करें तो हम उन्हें दूर कर सकेंगे।

आपको स्मरण होगा कि इस असेम्बली ने बहुत सी सब-कमेटियां बनाई थी। मैं समझता हूं कि इन कमेटियों की रिपोर्टें इस सभा के सामने उचित समय में रखी जायेंगी। मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि इस परिषद् को उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिये, जिनके आधार पर हम विधान बनायेंगे, कमेटियों को बनाने का काम शुरू करना चाहिये और जब ये सिद्धांत स्वीकार कर लिये जायें तो कोई सुयोग्य समिति विधान का मसविदा तैयार करे और अन्त में इस प्रकार तैयार किये हुये विधान के मसविदे पर इस परिषद् में विस्तार से विचार हो। मैं परिषद् को यह राय देता हूं कि सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले सब-कमेटी से यह कहा जाये कि उसे अपनी रिपोर्ट इस परिषद् के विचारार्थ समय पर, यानी जून या जुलाई तक, दे देनी चाहिये और जब यह परिषद् उस पर विचार कर ले तो उसका मसविदा तैयार हो सकता है और सितम्बर में परिषद् की बैठक हो सकती है ताकि वह अक्टूबर तक अन्तिम रूप से विधान बना ले। जैसा कि बिजिनेस कमेटी समझती है, और मैं भी समझता हूं, मोटे तौर से कार्यक्रम यह है। यह आवश्यक है कि विधान को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये ताकि उसके बाद इसके लिये समय मिले कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित समय के अन्दर शक्ति

[अध्यक्ष]

हस्तान्तरित करने का कार्य पूरा हो सके। मैंने यह राय आजमाइश की तौर पर दी है क्योंकि नई-नई बातें पैदा हो रही हैं और निश्चित रूप से कोई भी नहीं कह सकता कि अपना काम पूरा करने के लिये इस विधान-परिषद् को क्या करना होगा? हम अपने लक्ष्य की परिभाषा दे चुके हैं और जो विधान बनेगा वह स्वभावतः उसी के अनुरूप होगा।

चाहे जिस प्रकार का भी विधान बनाया जाये, और चाहे वह पूरे अखंड भारत के लिये हो या केवल उसके भागों के लिये, हमें यह अवश्य देखना है कि उसकी अधिकार-सीमा में जो कोई लोग भी आयें उनको उससे संतोष हो। यद्यपि हमने मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल का 16 मई का वक्तव्य स्वीकार किया है, जिसके अनुसार इस देश के विभिन्न प्रांतों और रियासतों का एक यूनियन होगा, मगर यह हो सकता है कि इस यूनियन में सभी प्रांत शामिल न हों। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो हमें सिर्फ एक भाग का विधान बनाकर ही संतोष कर लेना होगा। उस दशा में हम इस पर जोर दे सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिये, कि देश के सभी भागों में एक ही सिद्धांत प्रयोग में लाया जायेगा और यदि किसी भाग के लोग राजी न हों तो उनके यहां कोई भी विधान बलपूर्वक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। इसका अर्थ यह होगा कि हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि कुछ प्रांतों का भी विभाजन करना होगा। इसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और यह सम्भव है कि परिषद् को इस विभाजन के आधार पर विधान बनाना पड़े। यह कार्य बहुत बड़ा है पर इससे हमें न डरना चाहिये और यदि नई बातें पैदा हो जायें तो उनके कारण अपने लक्ष्य से विचलित न होना चाहिये।

हमें अपने पर और अपने देश पर, जिसने हमें यहां भेजा है, विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ सदस्य बोलना चाहेंगे। मैं सर बी.एल. मित्तर से प्रार्थना करता हूं कि वे शुरू करें।

***सर ब्रजेन्द्रलाल मित्तर** (बड़ौदा): श्रीमान्, आपने उन रियासतों के प्रतिनिधियों का जो आज यहां आये हैं जिस तरह से हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी यह इच्छा थी कि रियासतों के अधिक प्रतिनिधि यहां आते, लेकिन मुझे आशा है कि अगले अधिवेशन में रियासतों की कोई भी जगह खाली न रह जायेगी। श्रीमान्, अपने एक सदस्य की शोकप्रद मृत्यु से, जबकि वे इस विधान-परिषद् में भाग लेने के लिये आ रहे थे, बड़ौदा के प्रतिनिधि-मंडल को बहुत नुकसान पहुंचा है।

श्रीमान् यह परिषद् स्वतंत्र भारत का विधान बना रही है। हम रियासतों के रहने वाले भारतवर्ष के प्रधान अंग हैं और ब्रिटिश भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसमें हमारा भी भाग होगा। इसलिये विधान बनाने की जिम्मेदारी में भी हम अपना भाग लेना चाहते हैं। (वाह वाह)

हम यहां भारतीय होने के नाते उपस्थित हैं न कि किसी की इजाजत से। हमारा दावा है कि हम भी इस सम्मिलित कार्य में पर्याप्त योग दे सकते हैं। डेढ़ सौ वर्ष के एकात्मक ब्रिटिश राज्य से ब्रिटिश भारत में बहुत कुछ समानता पैदा हो गई है लेकिन रियासतों में अब भी बड़ी विभिन्नता है। कुछ रियासतें उतनी ही उन्नत हैं जितना कि ब्रिटिश भारत और वहां लोग शासन-प्रबन्ध में भाग लेते हैं। कुछ में सर्वाधिकार सम्पन्न राजतंत्र है, कुछ में सामन्तवाद की और कुछ में बड़ी प्राचीन शासन प्रणाली है: इन सबको भारतीय विधान में स्थान देना है, क्योंकि हिन्दुस्तान की 40 करोड़ की आबादी में हमारी 9 करोड़ 30 लाख की आबादी भी शामिल है। इस परिषद् के प्रारंभिक प्रस्ताव में जो मुख्य चित्र अंकित किया गया है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसमें अनेकता लाना चाहते हैं ताकि हम भी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें स्थान पा सकें।

हम अनेकता में एकता चाहते हैं। मैं अपने ब्रिटिश भारत के सहयोगियों से अपील करता हूं कि वह हमारे साथ कुछ धैर्य से काम करें। हम उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें नियमित रूप से चलना है और यह भी देखना है कि इससे हमारी प्रगति में बाधा न पहुंचे। हम आपसे इसमें सहमत हैं कि भारतीय यूनियन का केन्द्र शक्तिशाली हो ताकि हिन्दुस्तान संसार के राष्ट्रों के बीच में अपना सिर ऊंचा कर सके। अकेले अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने में हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि इससे केवल यूनियन की शक्ति क्षीण ही होगी। हम यूनियन की शक्ति क्षीण करके अपने लिये विशेषाधिकार प्राप्त करने की भावना से नहीं बल्कि सहयोग की भावना से आपके साथ सच्चे दिल से काम करेंगे। हम विभिन्न प्रदेशों की शक्ति और विशेषता के अनुसार विधान बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि उन्नति प्राकृतिक और स्वास्थ्यप्रद हो।

श्रीमान्, मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

सरदार के.एम. पनिक्कर (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सर ब्रजेन्द्रलाल मित्तर के ओजस्वी भाषण के बाद मैं भी उन रियासतों के प्रतिनिधियों की ओर से जो इस परिषद् में सम्मिलित हुए हैं और आज यहां उपस्थित हुए हैं, आपने हमारा

[सरदार के.एम. पनिक्कर]

जो स्वागत किया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हम इसी दिन की राह देख रहे थे। हमारा स्वप्न सच्चा हो गया है क्योंकि हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के प्रतिनिधियों की कोई ऐसी सभा जो सारे हिन्दुस्तान की ओर से मत प्रकट कर सकती हो, सम्मिलित हुई हो और उसने विचार-विमर्श किया हो। पहले कई अवसरों पर हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों के सम्मेलन होते रहे हैं और रियासतों में हम लोग भी अक्सर सम्मिलित होते रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि हिन्दुस्तान के सभी भागों के प्रतिनिधि अपने भविष्य का फैसला करने के लिये सम्मिलित हुए हों। इसलिये मेरे विचार में भारतीय रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों का इस सभा में भाग लेने का लाक्षणिक अर्थ है और इसका महत्त्व इससे कहीं अधिक है कि वास्तव में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं या इससे कि जो मेम्बर उपस्थित हुए हैं उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है। यह वास्तव में भविष्य में होने वाली एकता का प्रतीक है और रियासतों और भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों के सहयोग से आज जो काम शुरू होगा उससे हमें वास्तव में आशा है कि एक भारतीय यूनियन की स्थापना होगी।

और बातों को कहने के पहले मुझे निगोशियेटिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि उसी के परिश्रम के फलस्वरूप हम लोग यहां आये हैं और आज यहां बैठे हुए हैं। निस्सन्देह उस कमेटी के काम की रिपोर्ट चंद मिनट में आपके सामने रखी जायेगी। यह मेरे जिम्मे नहीं है कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे यह कहना ही चाहिये कि यदि आपके प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के प्रश्न पर समझदारी, साहस और दूरदर्शिता से विचार नहीं करते तो हममें से उन लोगों के लिये, जो आंरभ से ही इस कार्य में यथाशक्ति योग देना चाहते थे, यह सम्भव नहीं होता कि हम यहां उपस्थित होते। इसलिये उन लोगों की तरफ से जो यहां उपस्थिति हैं, मैं निगोशियेटिंग कमेटी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने यह कर दिखाया। यह सच है कि हम कुछ ही रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हममें से सभी लोग जो रियासतों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज यहां नहीं आये हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम कोई ऐसे अल्पसंख्यक नहीं हैं जिनका कुछ भी महत्त्व न हो। हम लोग जो आज यहां आये हैं भारतीय रियासतों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों में से 2 करोड़ से कम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और जिन्होंने आमतौर पर या रस्मी तौर पर विधान-परिषद् में भाग लेने के इरादे का ऐलान किया है वे एक या डेढ़ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार यदि हम

इस पर विचार करें तो वास्तव में विधान-परिषद् में भारतीय रियासतों के लोगों की एक काफी बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व हुआ है।

मैं एक बात इस समय ही यहां कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हम किसी के दबाव से या किसी के जोर डालने से यहां नहीं आये हैं। रियासतों के सम्बन्ध में किसी अवसर पर भी दबाव या जोर नहीं डाला गया। हम स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और यह शुरू से ही स्पष्ट किया गया है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर हो, यह घोषित करे कि हम यहां दबाव से या अनुचित प्रभाव से आये हैं तो मेरे विचार में उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुमूल्य सज्जनों से जो हमें यथाकथित दबाव के कारण रुक जाने की राय देते हैं, मुझे स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि उनके आक्षेप से हमारी बुद्धिमत्ता की मानहानि होती है। क्या हिन्दुस्तान के मामलों में हमारी देशभक्ति किसी से कम है? क्या हम हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में किसी से कम चिंतित हैं कि हम पर ऐसे कार्य में भाग लेने के लिये दबाव डाला जाये, जिसमें भाग लेना हम अपना अधिकार और अपना कर्त्तव्य समझते हैं? इसलिये मैं इस समय इसे यहां दृढ़ता से कह देना चाहता हूं कि हम पर किसी प्रकार का जोर नहीं डाला गया है और यह कि ऐसा कहना न समझदारी की ही बात होगी और न इससे कुछ मतलब ही हासिल होगा कि किसी एक भाग पर दूसरे भाग ने जोर डाला है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं और वह वाद-विवाद या इस प्रकार के किसी दूसरे उद्देश्य के लिये नहीं। हम पक्षपात से यहां नहीं आये हैं। हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को संगठित रूप से प्राप्त करने के महान् कार्य में अपना योग देने के लिये हमें यहां आने का अधिकार है। हमारा विचार है कि हमें इसका उतना ही अधिकार है जितना यहां किसी अन्य सज्जन को। वास्तव में कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिये। यह निस्सन्देह एक विचित्र सिद्धांत है क्योंकि हम दूसरों के सम्बन्ध में जो कुछ हो उसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या अपने सम्बन्ध में भी जो कुछ हो उसकी भी हम उदासीन दर्शकों की तरह प्रतीक्षा करें? इस दशा में हम समझते हैं कि संगठित रूप से हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है जितना दूसरों का, इस दृष्टि से प्रतीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं चाहते और न हम किसी को आभारी करना चाहते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि यह आदरणीय सभा हमारे प्रश्नों पर सहानुभूति और मैत्री की दृष्टि से विचार करे और यह समझे कि ये प्रश्न हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े भाग से सम्बन्ध रखते हैं। अपनी ओर

[सरदार के.एम. पनिक्कर]

से हम विनयपूर्वक इसका वचन देते हैं कि हम हिन्दुस्तान और यूनियन की हितोन्नति के लिये काम करेंगे और हममें से सभी की यह इच्छा है कि यह यूनियन स्थापित हो। श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री पी. गोविन्द मेनन** (कोचीन): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस ऐतिहासिक परिषद् के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है। पिछले चंद महीनों में इस सम्बन्ध में बहस, वाद-विवाद और परस्पर बातचीत हुई कि भारतीय रियासतों को इस परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिये या नहीं और यदि भेजने चाहिये तो कब और उनको किस प्रकार चुना जाये। यह सब कुछ न होता और यह प्रश्न बहुत सीधे ढंग से हल हो जाता, यदि इस पर ठीक दृष्टि से विचार किया जाता यानी यदि इस पर भारतीय रियासतों के लोगों की दृष्टि से विचार किया जाता।

उनको इस समबन्ध में कभी भी सन्देह नहीं हुआ। भारतीय रियासतों के दस करोड़ लोगों ने कभी भी यह नहीं समझा और न वे अब समझते हैं कि उनका कोई ऐसा समूह है जो तथाकथित ब्रिटिश भारत में रहने वाले अपने तीस करोड़ भाइयों और बहिनों से भिन्न है। पिछले 27 वर्षों से महात्मा गांधी और दूसरे बड़े-बड़े नेताओं के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता के लिये संग्राम करता रहा है। उस संग्राम में भारतीय रियासतों के लोगों ने भी यथेष्ट योग दिया। रियासतों के लोगों ने कभी यह नहीं समझा और न उनका यह दृष्टिकोण ही रहा कि उनके भाग्य का फैसला किसी दूसरी जगह होगा।

अब 25 वर्ष के संग्राम के उपरान्त जब हमारा राष्ट्र अपने भविष्य के लिये विधान बनाने के लिये सभा करता है, तो हम समझते हैं कि यह हमारा कर्त्तव्य है और हमारा अधिकार भी है कि हम उसके विचार-विमर्श में भाग लें। श्रीमान्, विधान-परिषद् में भाग लेने के सम्बन्ध में रियासतों के लोग एकमत हैं।

लोगों की ओर से कोई एतराज या सवाल नहीं किये जाते और न वे सन्देह ही प्रकट करते हैं। जब कभी ऐसी बातें पैदा होती हैं तो इसके उत्तरदायी दीवान, मंत्री और नरेश होते हैं जो ईश्वरदत्त स्वत्व के सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। श्रीमान्, मुझे आशा है कि असेम्बली के दूसरे अधिवेशन के पहले ही सभी रियासत इसका दृढ़ निश्चय कर लेंगी कि वे हमारे साथ सहयोग करेंगी और इस सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगी।

इस परिषद् में भाग लेने के सम्बन्ध में और दूसरे मामलों के बारे में भी मेरी कोचीन रियासत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है। दूसरी सभी रियासतों के लोगों की तरह कोचीन के लोग भी इस विधान-परिषद् में शुरू से ही भाग लेना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि उनके एक या एक से अधिक प्रतिनिधि चुन लिये जायें। कोचीन के लिये यह सौभाग्य की बात थी कि उनके महाराजा का भी यही मत था।

इस परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नों पर सक्रिय रूप से विचार होने के पहले ही कोचीन के महाराजा ने 28 जुलाई सन् 1946 ई. को लेजिस्लेटिव कौंसिल को एक सन्देश देते हुए कहा:

> ''अब केवल एक और बात पर विचार करना है और वह विधान-परिषद् और उसमें कोचीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हैं अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस परिषद् में कोचीन कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के तरीके के सम्बन्ध में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए मैं खुशी से यह ऐलान करता हूं कि गम्भीरता से विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय किया है कि लोगों को इसकी इजाजत है कि वे अपने प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को चुनें, यह चुनाव कौंसिल करेगी।''

उपरोक्त वक्तव्य ऐसे समय में दिया गया था जब कि रियासतों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार नहीं होने लगा था। उस समय किसी रियासत ने भी यह नहीं कहा था कि वह अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखेगी और भारतीय विधान-परिषद् से उसका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। अभी हाल ही में इस प्रकार के वक्तव्य दिये गये। यद्यपि इस प्रकार के आकर्षक सिद्धांत उसके सामने रखे गये, कोचीन अपने मार्ग से नहीं डिगा। उसकी प्रतिक्रिया उसके महाराजा के शब्दों में ही सबसे अच्छी तरह व्यक्त की जा सकती है। त्रिचूड़ में 'एक्य कराला सम्मेलन' का उद्घाटन करते हुए उन्होंने परसों कहा:

> ''अब मैं भारत के अन्य भागों से कोचीन के सम्बन्ध के प्रश्न पर आता हूं। संयुक्त कराला की स्थापना के उपायों पर विचार करने के लिये इस सम्मेलन की सभा हो रही है। त्रावण कोर की सरकार ने कहा है कि वह इस विचार से सहमत नहीं है और उसने यह घोषित किया है कि जून सन् 1948 ई. के बाद वह एक स्वतंत्र सरकार हो जायेगी; संधियों की शर्तों के अनुसार वह केन्द्रीय सरकार से अपने सम्बन्ध स्थापित करेगी। आप

[श्री पी. गोविन्द मेनन]

जानना चाहेंगे कि इस परिस्थिति में इस सम्बन्ध में कोचीन का रुख क्या है? मुझे यह घोषित करने में कुछ भी संकोच नहीं है कि कोचीन मातृभूमि का एक भाग रहेगा, वह तुरंत ही विधान-परिषद् में भाग लेगा। मेरे किसी शब्द या कार्य से ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा जबकि कोई भी कोचीन निवासी यह समझे कि वह भारतीय कहलाने के अधिकार से वंचित हो गया है।''

चूंकि श्रीमान्, हम भारतीय हैं और चूंकि हम इस महान् देश के भाग्य के भागी होना चाहते हैं इसलिये आपने इस ऐतिहासिक सभा के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये हमारे पास कृपा करके जो निमंत्रण भेजा उसे हमने सहर्ष स्वीकार किया और उसके लिये हम कृतज्ञ हैं। श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***सर टी. विजयराघवाचार्य** (उदयपुर): श्रीमान्, मुझे इसका बड़ा हर्ष है कि मैं आज दिल्ली में उपस्थित हुआ हूं। पुरानी कहावत है कि दिल्ली दूर है। इस कहावत की सत्यता पर मुझे इस अवसर के पहले कभी इतना विश्वास नहीं हुआ था। इसके पहले मैंने दिल्ली को बहुत निकट पाया। लेकिन इस अवसर पर मैंने यह अनुभव किया कि वह बहुत दूर है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि मैं आज यहां उपस्थित हुआ और वह भी एक ऐतिहासिक अवसर पर। शिमले की दिसम्बर की ठंडी हवाओं की तरह और बलूचिस्तान की कठोर पहाड़ियों की तरह, जिनके ऊपर होकर हवाई जहाज आता है, उस भारतीय का भी हृदय होगा जिसकी दृष्टि पश्चिम की ओर लगी हुई है और जिसे इस परिषद् को देखकर रोमांच नहीं होता, जिसका कि हमेशा इतिहास में उल्लेख होगा। मेरी यह भावना है कि यद्यपि हम विभिन्न प्रांतों और रियासतों से आये हुए हैं, हम यहां भारतवर्ष के किसी विशेष भाग की ओर से नहीं हैं, हम सारे भारत के सदस्य हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग यहां इसी भावना से काम करेंगे और यह कि हम कोई सीमित हितों या संकुचित साम्प्रदायिक हितों की रक्षा के लिये नहीं बल्कि सफल भारतीय राष्ट्र की हितोन्नति के लिये ही काम करेंगे। मैं यहां किसी प्रकार के स्थानीय प्रश्नों का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमारे स्थानीय प्रश्नों को सम्बन्धित स्थानों में ही हल करना चाहिये। यहां हमें सारे भारत के प्रश्नों को हल करना है और मुझे आशा है कि हम सभी लोगों को एक साथ बैठकर इस तरह विचार करना चाहिये और इस तरह काम करना चाहिये ताकि हमारे पुत्र, पौत्र और आने वाले पीढ़ियां यह कहें कि सन् 1947 ई. में हमारे पुरखे दिल्ली में सम्मिलित हुए और उन्होंने ऐसा विधान बनाया जिसको समय जीर्ण नहीं कर सका है और इतिहास यह निर्णय दे कि ये लोग धन्य हैं जिन्होंने सच्चाई से

अपना काम किया और ऐसी सुन्दर नींव डाली कि उस पर भारत के भावी इतिहास का निर्माण होगा। हमें यहां संकुचित दृष्टि से विचार नहीं करना है। हम उदारता से विचार करेंगे और हमें इस तरह अपने कार्य का संचालन करना चाहिये कि भारत के भावी इतिहास में यह कहा जाये कि हमने अपना कार्य उचित ढंग से किया और यह कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन पुरुषों की तरह और भारत की सच्ची सन्तानों की तरह किया और न कि भारत के किसी विशेष भाग की सच्ची सन्तानों की तरह है।

अध्यक्ष महोदय, जिन कृपापूर्ण शब्दों में आपने हमारा स्वागत किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर): प्रेसीडेंट साहब, मैं देशी रियासतों की जनता की तरफ से जनता की भाषा में, जो स्वागत रियासतों के प्रतिनिधियों का आपने किया है, उसके लिये मैं आपको अनेक धन्यवाद देता हूं।

हम लोग जो रियासतों के रहने वाले हैं सन् 1933 ई. तक तो कुछ हैसियत रखते थे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल में ''इंडियन प्रिंसेज एंड देयर सबजेक्ट्स'' इस तरह के शब्द रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से हम लोग उठ गये। सन् 1935 ई. में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आये तो उसमें हमारा नाम नहीं था। मंत्रिमंडल का जो आयोजन था उसमें भी हमारा नाम नहीं रखा गया। हम ऐसी स्थिति में आ गये थे कि जब तक रियासतों के राजा और उनकी सरकारें हमको न अपनायें तब तक हम आपके साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ा कर नहीं बैठ सकते थे। यह खुशी की बात है कि आज हम यहां पर बैठकर इतिहास बना रहे हैं। हम ब्रिटिश प्राविंसेज के साथ और राजाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं जिस स्थीत में हम यहां हैं उस स्थिति में हमारी रियासतों की सरकार आगे नहीं आती, हम लोगों को साथ न लेती और जो 'निगोशिएटिंग कमेटीज़' हैं अगर वह हमको अपनाने की कोशिश नहीं करती, तो बहुत मुमकिन था कि हम लोग इससे बाहर ही रहते। लेकिन यह खुशी की बात है कि हम काफी तादाद में आपके साथ बैठे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइन्दा जो आईन बनने वाला है उसको बनाने में हम आपको हर तरह से सहयोग देंगे, न कि सिर्फ अपने मतलब के लिये बल्कि सारे हिन्दुस्तान के मतलब के लिये। हम यह मानते हैं कि हम भी हिन्दुस्तान के हिस्से हैं, यद्यपि कुछ बाहर के लोगों ने हमारे बीच दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन इन गैर कुदरती दीवारों को जो हमारे बीच में खड़ी कर दी गई हैं, आज उन दीवारों की ईंटें उखड़ने लगी हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि थोड़े

[श्री जयनारायण व्यास]

अर्से के अन्दर हिन्दुस्तान बिल्कुल एक हो जायेगा। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

***राजा लाल शिव बहादुर** (रीवां): श्रीमान्, आपने हमारा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके लिये अपने मित्रों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मध्य-भारत की एक बहुत बड़ी रियासत का प्रतिनिधि हूं। यदि रीवां की रियासत आगे नहीं बढ़ती तो मध्यभारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। श्रीमान्, मुझे आशा है कि अल्पकाल में ही हमारी पड़ोस की और दूसरी रियासतों के मेरे मित्र भी इस ऐतिहासिक सभा में सम्मलित होने का निर्णय करेंगे। मातृभूमि की यथासम्भव सेवा करने में रीवां की रियासत पीछे नहीं रहेगी।

श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कुर्ग से सद्भावना का सन्देश

***अध्यक्ष:** कुर्ग की लेजिस्लेटिव कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया है और उसे कुर्ग के चीफ कमिश्नर ने मेरे पास भेजा है ताकि मैं उसे आपको सुना दूं। मैं उसे पढ़ता हूं:

> ''यह कौंसिल भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करती है और यह प्रार्थना करती है कि एकमत से भारत का विधान बनाने के लिये वे जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें उनको तुरंत ही सफलता प्राप्त हो और चीफ कमिश्नर से यह सिफारिश करती है कि विधान-परिषद् के अध्यक्ष, नई दिल्ली, को इस सदिच्छा का सम्वाद भेजा जाये।''

रियासती कमेटी की रिपोर्ट

***अध्यक्ष:** दूसरा विषय यह प्रस्ताव है जिसे पं. जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं:

> ''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।''

परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है जो चुने जा चुके

हैं और यह आशा प्रकट करती है कि जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि नहीं चुने हैं वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगी।

मैं समझता हूं कि सभी मेम्बरों को उस रिपोर्ट की प्रतियां दे दी गई हैं। इसलिये उस रिपोर्ट को पढ़कर मैं इस सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। वह रिपोर्ट इस सभा की नियुक्त की हुई निगोशिएटिंग कमेटी की कार्यवाही का सारांश है, हमने उसे यथासम्भव स्पष्ट रूप में रखने का प्रयत्न किया है और उसमें बताया गया है कि क्या-क्या बातें हुईं और हमने क्या किया; ताकि इस सभा को मालूम हो जाये कि हमने कौन-सा कार्यक्रम स्वीकार किया और इन अवसरों पर हमने क्या कहा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सभा की ऐसी इच्छा हो और यदि मेम्बर हमारी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट देखना चाहें तो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें अक्षरश: सब कुछ दिया गया है और यह रिपोर्ट इस सभा के पुस्तकालय में जाकर देखी जा सकती है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कभी कई तरह की अफवाहें फैल जाती हैं और लोगों को भ्रम हो जाता है और कभी लोग यह सोचने लगते हैं कि हम लोगों के सामने सब बातें नहीं रख रहे हैं। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं छिपाना है; और वास्तव में यह नामुमकिन है कि इस सभा से हम कुछ छिपायें और इसलिये उन अवसरों पर जब हम रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी से मिले, जो कुछ भी कहा गया उसकी अक्षरश: रिपोर्ट इस सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है ताकि अगर कोई मेम्बर चाहे तो उसे देख सके। वह बहुत बड़ी रिपोर्ट है और यह मुमकिन नहीं है कि उसे छपवाया और बंटवाया जाये और न यह साधारणतया उचित ही है कि ऐसी रिपोर्टों को आम छापेखानों में छपवाया जाये। लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस सभा की कोई कमेटी इस सभा के मेम्बरों से कोई बात छिपाकर रखे। इसलिये, हालांकि वह रिपोर्ट प्रकाशन के लिये नहीं है, मैं मेम्बरों को यह बताना चाहता हूं कि वह इस सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है और उसे कोई भी मेम्बर देख सकते हैं।

इस सभा को याद होगा कि यह कमेटी एक खास काम के लिये बनाई गई थी, यानी इस असेम्बली की जगहों का वितरण तय करने के लिये, जो 93 से अधिक नही थीं और उस तरीके को तय करने के लिये जिसके अनुसार रियासतों के प्रतिनिधियों को इस असेम्बली के लिये चुनना था। हमको ये निश्चित आदेश दिये गये थे और हमने उन्हीं के अनुसार काम किया; लेकिन जब हम नरेन्द्र मंडल की नियुक्त की हुई निगोशिएटिंग कमेटी से मिले तो और सवाल भी उठाये गये। नरेशों के संगठनों के पास किये हुए कई प्रस्ताव हमारे सामने आये। हमने उनको

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

बताया कि यह हमारे अधिकार में नहीं है कि हम किसी दूसरे मामले को उठायें। हमें सिर्फ इन दो खास मामलों पर ही बातचीत करने का अधिकार है। वास्तव में हम कुछ आगे बढ़ गये। हमने यह कहा कि हमें इसमें सन्देह है कि विधान-परिषद् को भी अपने वर्तमान रूप में सभी तरह के मामलों को हाथ में लेने का अधिकार है या नहीं। लेकिन किसी भी सूरत में हमको अपने काम को आगे बढ़ाने और यदि कोई गलतफहमियां हों तो उनको दूर करने की इतनी चिंता थी कि हममें से कुछ लोगों ने उनसे आगे बातचीत की और उन्होंने जो सन्देह प्रकट किये उन्हें दूर कर दिया गया। कुछ सवालों का जवाब अवैध रूप से दे दिया गया या तो कहिये कि निजी तौर पर दे दिया गया, क्योंकि जिन बातों के लिये आपने हमें भेजा था उनके परे जाना हमारे अधिकार में नहीं था। आपको जो रिपोर्ट दी गई है उसमें आप देखेंगे कि इसका उल्लेख है, विशेषतया इसलिए कि उन्होंने उन बहसों में कुछ ही बातें उठाईं। मैं यह समझता हूं कि मुझ पर इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। ऐसा हुआ कि उन सवालों के जवाब में मैंने जो कुछ कहा वही मैंने और अन्य मेम्बरों ने भी इस सभा में पहले कहा था, इसलिये उनसे उन बातों को कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे किसी ऐसी बात को कहने में बड़ी कठिनाई होती जिसे बाद को यह सभा स्वीकार नहीं करती या गलत समझ कर अस्वीकार कर देती। इस सम्बन्ध में हम सभी के अपने-अपने विचार हैं और एक अवसर पर, जब मैं लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में इस सभा में बोल रहा था तो मैंने रियासतों और नरेशों का भी जिक्र किया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में मेरे अपने विचार हैं, लेकिन इससे मुझे यह प्रकट करने में बाधा नहीं होती कि विधान-परिषद् का क्या मत है और उसके कार्य की परिधि क्या होगी। उस समय मैंने कहा था कि यद्यपि हम यह निर्णय कर रहे हैं कि सारे भारत के लिये एक पब्लिक हो लेकिन इससे किसी रियासत को जहां तक उसका अपना सम्बन्ध है अपने यहां राजतंत्र चलाने में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन यह शर्त अवश्य है कि स्वतंत्रता के मानचित्र में वह बेमेल न दिखाई दे और वहां जैसी कि मुझे आशा है, उसी तरह की उत्तरदायी सरकार और उतनी ही स्वतंत्रता हो जितनी कि भारतवर्ष के अन्य भागों में। इसलिये जब ये सवाल उठाये गये तो इनका जवाब देने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि वास्तव में इस सभा में उनका पहले उल्लेख हो चुका था।

वे सवाल क्या थे? पहला यह था और वह अनावश्यक प्रश्न था कि हमारी कार्य-सीमा क्या है? यानी हमने मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई सन् 1946 ई.

के बयान को किस हद तक स्वीकार किया है। हमने उसे स्वीकार किया है और उसी बयान के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। यहीं बात खत्म हो जाती है। मैं नहीं जानता कि आगे चलकर क्या-क्या बदलाव हों और इनका हमारे काम पर क्या असर पड़े, लेकिन हमने उस बयान को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है और हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं।

इसमें स्वभावतः दूसरा नतीजा निकलता है, यानी ऐसे विषय जो यूनियन के अधिकार-क्षेत्र में न हों वे प्रदेशों के अधिकार में होंगे। यानी रियासतों और प्रांतों के अधिकार में। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के बयान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हमने उनसे यही कहा और इसे साफ भी कर दिया। इस पर अब इस सभा में सावधानी से विचार करना है कि यूनियन के सुपुर्द कौन से विषय होंगे और कौन से विषय नहीं होंगे। लेकिन कोई भी विषय, जो यूनियन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वे स्वाभाविक रूप से प्रदेशों के विषय होंगे।

इसके अलावा यह कहा गया है कि विधान-परिषद् में शामिल होने या उस योजना को स्वीकार करने या न करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, जैसा कि श्री पनिक्कर ने कहा है कि किसी रियासत या प्रांत या भारत के किसी अन्य भाग पर इस असेम्बली में सम्मिलित होने के लिये कोई जोर नहीं डाला गया और न डाला जा सकता है। किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हो सकती। सिवाय इसके कि घटनायें बलपूर्वक किस ओर ले जायें। यह निस्सन्देह एक जबरदस्ती है और इसका महत्त्व इतना बड़ा है कि हममें से कोई भी सज्जन इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस तरह जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि यदि हिन्दुस्तान के कुछ प्रदेश या भाग यहां आने का निश्चय करते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो इसके बदले में उनको कुछ अधिकार मिलते हैं और जो सम्मिलित नहीं होते उनको वे अधिकार नहीं मिलते क्योंकि वे उन जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब कोई प्रदेश, रियासत या देश का कोई दूसरा भाग यह निर्णय करता है तो इसका नतीजा अपने आप सामने आ जाता हैं यह हो सकता है कि दो प्रदेश या रियासत इसके फलस्वरूप एक दूसरे से दूर पड़ जायें, लेकिन यह घटनाचक्र का प्रतिफल ही होगा। वरना हर एक रियासत को इसकी स्वतंत्रता है कि वह यहां आये या न आये। अब यह मामला बहुत साफ कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में यदि कोई दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया तो वह रियासतों में राजतंत्र शासन पद्धति के बारे में था, जैसा मैंने इस सभा में पहले कहा था।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

आजकल की दुनिया में किसी राजा द्वारा शासन चलाने के तरीके के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह लोगों को पसन्द है, चाहे उससे पहले कितनी ही भलाई क्यों न हुई हो। यह पद्धति आगे चलकर खत्म हो जायेगी लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कब तक टिकी रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरे मत का कुछ भी महत्त्व नहीं है, महत्त्व केवल इसका है कि इस सम्बन्ध में इस असेम्बली की क्या इच्छा है और वह क्या करना चाहती है? एक बार पहले हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम रियासतों के आंतरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसका निर्णय रियासतों के लोगों को ही करना है कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। वास्तव में यह प्रश्न इस असेम्बली में उठता नहीं; यहां हम यूनियन से सम्बन्धित मामलों और मौलिक अधिकार आदि विषयों पर विचार कर रहे हैं; इसलिये रियासतों में राजतंत्र शासन-पद्धति का प्रश्न यहां नहीं उठाया गया और मैंने उन लोगों से कहा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम उस प्रश्न को यहां नहीं उठाने जा रहे हैं।

अंत में इस असेम्बली के लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के उस अंग के बारे में जिसमें प्रादेशिक सीमाओं को बदलने का उल्लेख है, प्रश्न उठाया गया या यों कहिये कि गलतफहमी बतलाई गई। इस सभा को याद होगा कि इस अंग का सम्बन्ध रियासतों से नहीं था। आगे चलकर जो बातें पैदा होंगी उनको ठीक करने के लिये, जैसा कि करना ही होगा, यह आदेश रखा गया था। इसके अलावा यह आदेश इसलिये रखा गया था कि ऐसे प्रदेश बन जायें जो कि भारतीय यूनियन के प्रदेश हो सकें।

यह स्पष्ट है कि भारत के छोटे-छोटे प्रदेश या छोटे-छोटे भाग इसलिए नहीं बनाये जा सकते कि वे यूनियन में सम्मिलित हो सकें। उचित परिमाण के प्रदेशों को बनाने के लिये कुछ प्रबंध करना होगा। प्रांतों के विभाजन के सम्बन्ध में आज प्रश्न उठ रहे हैं और आगे चल कर भी ये प्रश्न उठेंगे। इस सम्बन्ध में बड़ी प्रबल भावनाएं हैं। हम आजकल, चाहे वह दूसरे कारणों से हों, पंजाब और बंगाल जैसे कुछ प्रांतों के विभाजन के बारे में बहस कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करना है, लेकिन इसका लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव से कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह निगोशिएटिंग कमेटी में तय हो गया है कि यदि प्रादेशिक सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो यह रजामन्दी से किया जाये।

अपनी निगोशिएटिंग कमेटी की तरफ से मैंने दूसरी कमेटियों को ये बयान दिये जिससे कई भ्रम दूर हो गए और हम दूसरी बातों पर विचार करने लगे।

दूसरी बातों में सबसे पहले इस सभा की जगहों के वितरण के प्रश्न को हल करना था। हमने यह तय किया कि इस मामले को दो सेक्रेटेरियटों यानी

विधान-परिषद् के सेक्रेटेरियट और नरेन्द्र मंडल के सेक्रेटेरियट के सुपुर्द कर दिया जाये, यह काम हमने उन्हें एक दिन डेढ़ बजे दे दिया। ये दोनों सेक्रेटेरियट उसी दिन तीन बजे सम्मिलित हुए और पांच बजे तक उन्होंने तय कर लिया कि कार्यक्रम कैसा होना चाहिये। यह एक ऐसी उल्लेखनीय बात है जिसे भुलाना उचित नहीं है। यह सच है कि जगहों के वितरण सम्बन्धी नियम कुछ हद तक मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना में दे दिये गये थे। दस लाख की आबादी के लिये एक जगह रखी गई है यानी सब मिल कर 93 जगहें होंगी। दुर्भाग्यवश वितरण के ये प्रश्न बड़े कठिन हैं और अक्सर इनसे बड़ा वाद-विवाद उठ खड़ा होता है। इन सब बातों के बावजूद ये दो कमेटियां सम्मिलित हुईं और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि विधान-परिषद् के सेक्रेटेरियट को रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस तरह मदद की कि दो ही घंटे में प्रश्न सभी की सहमति से हल हो गया। इससे यह जाहिर होता है कि यदि हम तथाकथित कठिन प्रश्नों को सद्भाव से हल करने बैठें तो हम उन्हें हल कर सकते हैं और वह भी तुरंत ही। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि इन जगहों के वितरण-सम्बन्धी प्रश्न का जो हल निकाला गया वह सर्वोत्तम था। जब से समझौता हुआ है, रियासतों के एक स्थान में या दूसरे स्थान में समूह बनाने के सम्बन्ध में आपत्तियां और टिप्पणियां की गई हैं। अंत में हमने यह काम एक उप-समिति को दे दिया, जो कि हमारी निगोशिएटिंग कमेटी और रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी की एक संयुक्त समिति है, कि वह इस मामले पर विचार करे और यदि आवश्यक समझे तो छोटे-मोटे बदलाव करे। समूहबन्दी की इन कठिनाइयों के कारण कई रियासतों के प्रतिनिधि यहां नहीं आ सके हैं हालांकि यह सम्भव है कि यदि ये न होती तो वे यहां आ जाते। दूसरे शब्दों में सम्बन्धित रियासतें यहां के कार्य में सम्मिलित होना चाहती हैं और वे अपने प्रतिनिधि यहां भेजने के लिये बिल्कुल तैयार हैं लेकिन समूह ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया है, इसलिये व्यक्तिगत रूप से वे यहां नहीं आ सकते। कल ही मुझे यह सूचना मिली कि एक महत्त्वपूर्ण रियासत यानी कच्छ रियासत इसके लिये बहुत उत्सुक और चिंतित है कि वह यहां के काम में हाथ बंटाये। लेकिन वह काठियावाड़ और दूसरी रियासतों के समूह का एक अंग है। चाहे यह ठीक हो या गलत लेकिन जब तक सारा समूह कुछ तय न करे, वह नहीं जानते कि अलग से कैसे सम्मिलित हों? इस मामले पर उप-समिति विचार करेगी। लेकिन मैं इस सभा को यह बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही हम मुख्य विषय पर आये और हमने अस्पष्ट सिद्धांतों या एक समूह या दूसरे समूह के अधिकारों के बारे में बातें करना छोड़ा कि हमने तुरंत ही निर्णय कर लिया। यह हमारे भविष्य के काम के लिये शुभ-लक्षण है, चाहे उसका सम्बन्ध रियासतों के लोगों से हो या भारत के अन्य भागों से या भारत के किसी समूह से।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

हम लोग जो यहां सम्मिलित हुए हैं, समझते हैं कि हम पर बड़ी जिम्मेदारी है। वह इस कारण नहीं कि हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है वह बहुत कठिन है और न इस कारण कि हम यह समझते हैं कि हम एक विशाल जन-समूह के प्रतिनिधि हैं, बल्कि इसलिये कि हम भविष्य के लिये निर्माण कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह देख लेना चाहते हैं कि यह मजबूत बुनियाद पर हो, और विशेषतया इसलिये कि हम एक ऐसे अवसर पर सम्मिलित हो रहे हैं जबकि बहुत सी विनाशकारी शक्तियां भारतवर्ष में काम कर रही हैं। जो हमें कभी एक तरफ घसीट ले जाती हैं तो कभी दूसरी तरफ और जब दुर्भाग्यवश ये शक्तियां निर्बाध-रूप से काम करती रहती है तो वायुमंडल रोष और द्वेष से दूषित रहता है और इसका डर रहता है कि उसका असर कहीं हमारे दिमागों में भी न पड़ जाये। लेकिन आजकल की कठिनाइयों पर विचार करते समय हमें अपने भविष्य की कल्पना को भंग न करना चाहिये बल्कि उसे कार्यान्वित ही करना चाहिये। हमें इस खतरे से बचना चाहिये और वह इसलिये कि हम आज या कल के लिये निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत ही मजबूत इमारत तैयार कर रहे हैं या इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं यदि फिर यह चेतावनी दूं कि इस समय के रोष और द्वेष से हमें न भूलना चाहिये कि वास्तव में वे प्रश्न क्या है जिन्हें हमें अंत में हल करना है। हम आजकल की कठिनाइयों को नहीं भुला सकते क्योंकि उनसे हर समय हमारे काम में रुकावट होती है। हमें आजकल की समस्याओं को हल करना है और दुर्भाग्यवश यह हो सकता है कि इन वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है उनका असर हम पर रहे। परन्तु चाहे कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है। हमें तुरंत ही निर्णय करने हैं और वह भी अंतिम रूप से जिसका अर्थ यह है कि हमको उनके अनुसार काम करना है। हमें यथार्थवादी होना चाहिये और मैं कहूंगा कि यथार्थवाद और आदर्शवाद की भावना से ही हमारी निगोशिएटिंग कमेटी ने यह काम शुरू किया।

यह सभा यह जानती है कि रियासतों के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम से इस कमेटी के कुछ मेम्बरों का निकट सम्बन्ध रहा है। इस संग्राम से मेरा जितना ही अधिक सम्बन्ध रहा उतना ही अधिक मैंने अनुभव किया कि इसे सारे भारत के प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता। इसे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह रियासतें भारतवर्ष के भाग हैं उसी तरह यह भी सारे भारत के प्रश्न का आवश्यक अंग है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, चाहे मुझे इसकी कितनी ही चिंता क्यों न रही हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से या किसी और तरह रियासतों के लोगों की उन्नति में अपना योग देने में अपनी पूरी शक्ति लगाऊं,

लेकिन जब मैं निगोशिएटिंग कमेटी से मिला तो मुझे अपने व्यक्तिगत विचारों को निम्न स्थान देना पड़ा, क्योंकि हर समय मुझे यह याद रखना था कि मैं इस विधान-परिषद् का प्रतिनिधि हूं और मुझे यह भी याद रखना था कि आखिर हम कोई सौदा तय करने नहीं आये हैं और न आपस में गरम बहस करने आये हैं, लेकिन यह कि हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है और वहां के लोगों को, भले ही इनका सन्देह न छूटे, विधान-परिषद् में ले जाना है ताकि वे उसमें जाकर वहां के वातावरण से प्रभावित हों। मेरे ध्यान में तो इस कार्य की पवित्रता थी और मेरे लिये नतीजों या व्यक्ति विशेष या समूहों या आश्वासनों के सम्बन्ध में बात करने का कोई महत्त्व नहीं था। हम एक दूसरे से क्या आश्वासन मांग सकते हैं? यह सभा भी किसी भारतीय को स्वतंत्रता के आश्वासन के अतिरिक्त और क्या आश्वासन दे सकती है? यह आश्वासन भी बाद को भारतीय अपनी समझदारी व अपनी शक्ति के अनुसार ही देंगे। यदि लोग शक्तिशाली न होंगे और उनमें इतनी समझदारी न होगी कि वे मिलकर ठीक रास्ते पर जा सकें तो आपने जिस भवन का निर्माण किया है, वह टूट-फूट कर गिर जायेगा। हम किसी को कोई भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

इन वर्षों में स्वतंत्रता की खोज में हमें क्या आश्वासन दिया गया? हम उस दिन की राह देखते रहे हैं जब कि हमारे स्वप्न सत्य हों। शायद अब वे सत्य होने जा रहे हैं। चाहे उनकी शक्ल बिल्कुल वैसी न हो जैसी कि हम चाहते हैं लेकिन वे सत्य होके ही रहेंगे। इसी विश्वास से हमने इन वर्षों में काम किया है। हमें कोई आश्वासन नहीं दिये गये थे, हमें अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिये गये थे। वास्तव में जैसा कि घटनाओं का क्रम रहा उसे देखते हुए, हममें से अधिकतर लोगों को जो कुछ भी थोड़ा बहुत आश्वासन मिला वह यह था कि हमें आंसू बहाने होंगे और कष्ट झेलने होंगे और हमारे हिस्से में ऐसी बहुत सी बातें आईं। यह सम्भव है कि भविष्य में भी ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आयें। लेकिन हम उनका सामना करेंगे, यह सभा उनका सामना करेगी और भारत के लोग उनका सामना करेंगे इसलिये किसी को आश्वासन देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन जहां तक मुमकिन है हम गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। हम यह अवश्य चाहते हैं कि हर एक भारतीय यह समझे कि हम उसके साथ बराबरी का और भाई-भाई का व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वह जान जाये कि भविष्य में सोने-चांदी या किसी दूसरी चीज के ताज का उतना महत्त्व नहीं होगा जितना एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्वतंत्रता के ताज का यह हो सकता है कि जल्दी ही ऐसा समय आये जबकि

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

किसी भी व्यक्ति के लिये चाहे वह राजा हो या अन्य कोई व्यक्ति, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात यह होगी कि वह स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है और उसका कोई दूसरा नाम या पदवी नहीं है। हम आश्वासन नहीं देते क्योंकि हम किसी को किसी बात का भी आश्वासन नहीं देते। लेकिन हमें आशा है और विश्वास है कि हम इस लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे। हम निमंत्रण देते हैं कि आइये, इस काम में हाथ बटाइये। जो लोग यहां आये हैं उनका हम स्वागत करते हैं और आगे चलकर जो लोग यहां आयेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। जो लोग यहां नहीं आयेंगे उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा है, आजकल की परिस्थिति को देखते हुए जो लोग यहां आयेंगे और जो लोग यहां नहीं आयेंगे, उनके बीच की खाई चौड़ी हो जायेगी। उनके रास्ते अलग-अलग हो जायेंगे और यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे विश्वास है कि अलग होने पर भी ये रास्ते मिल जायेंगे और जल्दी ही मिल जायेंगे। लेकिन जो भी सूरत हो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। जो यहां आना चाहेंगे वे यहां आयेंगे और जो नहीं आना चाहेंगे वे नहीं आयेंगे। लेकिन इतना कहना ही पड़ेगा कि जब हम लोगों के यहां आने या न आने के बारे में कहें तो हमें याद रखना चाहिये जैसा कि श्री गोविन्द मेनन ने कहा है कि रियासतों के लोग इस असेम्बली में आना चाहते हैं। यह मैं कुछ विश्वास और इस मामले में कुछ अधिकार होने से कह रहा हूं यदि उनको यहां आने से रोका जाता है तो इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है। हमें यह समझना चाहिये कि उनके रास्ते में रोड़े अटका दिये गये हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आगे चलकर ये सवाल नहीं उठेंगे और एक-दो महीने में ही लगभग सभी रियासतों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे और इस विधान को अंतिम रूप देने में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे।

मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि यह रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये। इस सम्बन्ध में भी कुछ बहस हुई है और यह देखा गया है कि लोग शब्दों, वाक्यों, आश्वासनों, इत्यादि जैसी बातों को बहुत महत्त्व देते हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि मैंने इसे सभा के सामने रखा है? यदि यह ठीक नहीं है तो जो कुछ मैंने कहा उसे मुझे दुहराने की इजाजत दी जाये यदि यह भी ठीक नहीं है तो इन बैठकों की जो अक्षरश: रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें हमने जो कुछ भी कहा वह दर्ज है। हमें उसमें और कुछ नहीं जोड़ना है और हम उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, हम अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो तरीका हम अपनायें वह ठीक होना चाहिये। जब यह कमेटी बनाई गई तो आपने कहा था कि हम अपने काम की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हमने यह रिपोर्ट पेश की है। हमको कुछ काम करना ही था, हमने उसकी कोशिश की और उसको पूरा

किया। यदि इस सम्बन्ध में काम होने के पहले इस मामले को समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखने की आज्ञा होती तो यह स्पष्ट है कि रियासतों के जो प्रतिनिधि आज यहां आये हैं, वे यहां न होते। वे दरवाजे पर या कहीं बाहर उस समय तक बैठे रहते जब तक कि यह सभा इसका समर्थन न कर लेती, यानी जब तक यहां कुछ हो न जाता तब तक ये लोग रुके रहते। हमने इस सभा के आदेशों को इस ढंग से नहीं समझा। हमने यह समझा कि हमें कोई सम्मानपूर्ण समझौता कर लेना है और उसके अनुसार काम करना है ताकि रियासतों के प्रतिनिधि यहां जल्दी से जल्दी आ सकें। हमें वास्तव में इसकी उत्सुकता थी कि वे उन कमेटियों में भाग लें जिन्हें कि इस असेम्बली ने बनाया है, यानी सलाहकार कमेटी, मौलिक अधिकारों की कमेटी, यूनियन के अधिकारों की कमेटी और दूसरी कमेटियां जिन्हें हमने बनाया है। क्या यह हमारा दोष नहीं है कि देर हुई है? जब निगोशियेटिंग कमेटियों की पहली बार सम्मिलित बैठक हुई तो उसी समय हमने रियासती कमेटी से प्रार्थना की कि उन्हें जल्दी ही सम्मिलित होना चाहिये और वास्तव में जल्दी से जल्दी विधान-परिषद् की इन कमेटियों में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिये। हर एक मौके पर हमसे आश्वासन मांगे गये और इसमें देर हो गई। लेकिन आपकी आज्ञा को हमने इस तरह समझा कि हमें आगे बढ़ना है और हर कदम पर समर्थन के लिये नहीं रुकना है। हमने इसी तरह काम किया और मुझे इसकी खुशी है कि रियासतों के कुछ प्रतिनिधि आज यहां आये हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे चलकर अधिक आयेंगे। इसलिये जहां तक कमेटी के काम का सम्बन्ध है समर्थन का प्रश्न नहीं उठता। रिपोर्ट आपके सामने है। यदि आप हमारे किये हुए किसी भी काम से सहमत न हों तो आप इस सम्बन्ध में अपनी अस्वीकृति प्रकट कीजिये या हमें आदेश दीजिये।

मैंने यह प्रस्ताव आपकी स्वीकृति के लिये पेश किया है। मैं जगहों के वितरण और रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके पर ब्यौरे से विचार नहीं करूंगा। हमने एक तरह का समझौता किया है। स्वभावत: मेरी और मेरे सहयोगियों की यही इच्छा थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के लोगों को ही चुनना चाहिये, बहुत कुछ इसलिये कि यही ठीक तरीका है और बहुत कुछ इसलिये कि इस सभा के चुने हुए अन्य सदस्यों से उनका सामंजस्य होता, लेकिन इसके विपरीत मैंने समझा कि यह उचित होगा कि यहां रियासतों की सरकारों का भी प्रतिनिधि त्व हो ताकि चित्र में कुछ वास्तविकता आ जाये। आखिर सही बात तो यही होगी कि रियासतों की सरकार ही लोगों की प्रतिनिधि हो और तब वह उनका प्रतिनिधित्व यहां करे। लेकिन हमें वस्तुस्थिति से मुंह नहीं मोड़ना है। आमतौर पर रियासतों

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

की सरकारें प्रजातंत्र की दृष्टि से लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती; कुछ जगहों में वे उनका थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन हमने यह उचित समझा कि रियासतों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये यद्यपि हम यह चाहते थे कि लोगों के प्रतिनिधि की ही अधिक संख्या हो, आखिर में बहुत बहस के बाद यह तय हुआ कि प्रतिनिधियों में से कम से कम 50 फीसदी, जहां कहीं असेम्बलियां हों वहां के चुने हुए मेम्बरों द्वारा चुने जायें या किसी दूसरे तरीके से चुने जायें जो कि तय किया जाये, हमारे बीच इस संख्या के सम्बन्ध में समझौता हो गया यद्यपि हम चाहते हैं कि यह संख्या अधिक हो। कुछ रियासतों ने ऐसे काम किया है जैसे कि वे संख्या अधिक होने में करते। मैं निवेदन करता हूं कि हमने जो समझौता किया वह सभी सम्बन्धित लोगों के लिये एक सम्मानपूर्ण समझौता है और जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उससे सफलता होगी। मैं इस सभा से यह सिफारिश करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव इस प्रकार है:

> ''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।
>
> परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है, जो चुने जा चुके हैं और यह आशा प्रकट करती है जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि नहीं चुने हैं। वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगी।''

जो सदस्य इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वे सब बोल सकते हैं।

(इस अवसर पर डॉ. कैलाश नाथ काटजू मंच पर पहुंच गए)

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मुझे कुछ सूचना की आवश्यकता है, रियासतों के जितने प्रतिनिधि इस परिषद् में आए हैं उनमें से कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत हैं?

***अध्यक्ष:** सेक्रेटरी आपको यह सूचना देंगे। इस बीच डॉ. कैलाश नाथ काटजू कृपया अपना भाषण दें।

माननीय डॉ. कैलाश नाथ काटजू (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने चन्द मिनट के लिये यहां आकर इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके सामने कुछ कहने का साहस इसलिये किया है कि चूंकि मध्य भारत की एक रियासत और राजपूताना की कुछ रियासतों से मेरा घनिष्ट संपर्क रहा है, और अब मैं संयुक्तप्रांत में आकर बस गया हूं। इसलिये आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरी उसमें गहरी दिलचस्पी है और नेगोशियेटिंग कमेटी ने जो महान् सफलता प्राप्त की है, उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं।

रियासतें कई किस्म की हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में हैं। कुछ रियासतें तो इतनी प्राचीन हैं कि हमारी जाति के इतिहास का मूल स्रोत भी वही हैं। कुछ दूसरी रियासतें अपेक्षाकृत अभी नई हैं और उन्हें कायम हुए लगभग एक शताब्दी हुई होगी तथा परंपरा और नैतिक प्रभुत्व की दृष्टि से भी उन्हें कोई बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। मैं इस विषय पर बहुत विचार में नहीं जाना चाहता लेकिन निस्संदेह मैं यह कह सकता हूं कि न केवल स्वयं रियासतों की भलाई की दृष्टि से बल्कि देशी राज्यों की जनता के कल्याण की दृष्टि से भी उन्हें उस महान् भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिये जिसके सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल ने इतना ओजस्वी भाषण दिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय इतिहास की परंपरा हमें यही शिक्षा देती है कि इस महान् देश का संघ अनिवार्य और अवश्यंभावी है। जब मैं यह सुनता हूं कि कुछ रियासतें अथवा कुछ प्रांत या प्रादेशिक इकाइयां अपने आप को सर्वसत्तासंपन्न राज्य होने की घोषणा कर रही हैं अथवा शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेने का दावा करती हैं, तो मुझे यह सोच कर आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने कभी भारतीय इतिहास की नैसर्गिक प्रगति एवं उसके प्रवाह पर भी विचार किया है। मुझे तो तनिक भी संदेह नहीं कि अगले पचास वर्षों में, चाहे आज हम कुछ भी करें या कहें, घटना चक्र लोगों को इस बात के लिये विवश कर देगा कि वे भारत में एक संयुक्त और शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करें। इसलिये रियासतों की जनता के लिए, सभी रियासतों की जनता के लिये, और इन रियासतों के नरेशों के लिये इस महान् कार्य में योग देना श्रेयस्कर और लाभप्रद है। मेरे विचार में राजाओं के लिये अपनी तथाकथित शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय, अपनी जनता के प्रेम और विश्वास पर निर्भर रहना कहीं अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी में उनकी सुरक्षा, उनकी अखंडता और उनका अस्तित्व नहीं है। यदि वे उस पर निर्भर रहें तो वे बने रहे सकते हैं, अन्यथा इनमें से अधिकांश रियासतें लुप्त हो जायेंगी और इस पर न तो उनकी जनता को, न शेष भारत को ही कुछ अधिक खेद होगा। इन शब्दों

[माननीय डॉ. कैलाश नाथ काटजू]

में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सभा से उसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं और मैं उस अपील में भी सम्मिलित होना चाहता हूं जो इस सभा के प्रत्येक वर्ग से की गई है। हम इस बात की कोशिश करें कि इस थोड़े से समय में ही सभी रियासतें इस परिषद् में सम्मिलित हो जायें।

***अध्यक्ष:** श्री लाहिरी यह जानना चाहते हैं कि संशोधन कब पेश किये जायें? उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें इस प्रस्ताव की सूचना केवल कल रात ही मिली है। मेरा ख्याल है कि अब इसके लिये समय नहीं है कि वे संशोधन पेश करें।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा की राय जानने के लिए पेश करता हूं।

प्रश्न यह है:

''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने पर यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।

विधान-परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है जो चुने जा चुके हैं और यह आशा प्रकट करती है कि जिन रियासतों में अभी तक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया है, वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगी।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** मैं श्री लाहिरी द्वारा मांगी गई सूचना देना चाहता हूं। आज यहां रियासतों के सोलह प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जिन में से पांच मनोनीत और ग्यारह निर्वाचित हैं।

स्टीयरिंग कमेटी के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज मैं अपनी ओर से यह प्रस्ताव पेश कर रही हूं। प्रस्ताव उपस्थित करने से पूर्व मैं इस बात पर बहुत हर्ष प्रकट करना चाहती हूं कि आज इस अवसर पर हमारे मध्य कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। जिन रियासतों ने हमें सहयोग दिया है और हमारे काम में हाथ बंटाया है उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

आपकी अनुमति से श्रीमान्, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करती हूं:

''यह परिषद् विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत-पद्धति द्वारा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों में से स्टीयरिंग कमेटी के दो अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन का निश्चय करती है।''

श्रीमान्, विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन की निम्नलिखित कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है:

''असेम्बली समय-समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित समझे, 8 अतिरिक्त सदस्यों को चुनेगी जिनमें से चार सदस्यों की जगहें रियासतों के प्रतिनिधियों में से चुनाव द्वारा भरी जाने के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी।''

नियम 40 के उप-नियम (1) में कहा गया है:

''असेम्बली जब तक रहे उस समय तक के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जायेगी जिसमें (अध्यक्ष के अतिरिक्त) ग्यारह सदस्य होंगे। जिन्हें असेम्बली आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी।''

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहती हूं कि इन नियमों के अनुसार प्रारंभ में 20 जनवरी को इस कमेटी के ग्यारह सदस्य चुने गए थे और वह इन्हीं सदस्यों को लेकर अपना काम करती रही है। उप-नियम (2) के अन्तर्गत समय-समय पर आठ और सदस्य चुने जाएंगे जिनमें से चार सदस्य रियासतों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित होंगे। फिलहाल यह वांछनीय समझा गया है कि उनमें से केवल दो को ही निर्वाचित किया जाये और शेष दो का निर्वाचन बाद में हो। हमें बहुत प्रसन्नता होती यदि इस अवसर पर चारों ही सदस्यों का निर्वाचन हो जाता। परन्तु इस समय हमने केवल दो सदस्यों का निर्वाचन ही वांछनीय समझा और शेष दो का निर्वाचन बाद की किसी तारीख के लिये स्थगित करना उचित समझा, जबकि हमारे सौभाग्य से इस परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। हमें बड़ी आशा थी कि हैदराबाद, ट्रावनकोर, मैसूर जैसी कुछ प्रमुख और अन्य रियासतों ने अब तक हमारे काम में शामिल होने और हमारे

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया होगा। परन्तु मुझे यह जान कर बड़ी निराशा हुई कि वे इस परिषद् में नहीं शामिल हो सकीं और उनका दृष्टिकोण हमसे मेल नहीं खाता और वे अब तक ''प्रतीक्षा'' करने की नीति पर चल रही हैं। मुझे आशा है कि वे भी बड़ौदा, बीकानेर, रीवां, ग्वालियर, कोचीन, उदयपुर, जोधपुर और कुछ अन्य रियासतों के अनुकरणीय उदाहरण को अपने सामने रखते हुए, जिनके प्रतिनिधि इस समय हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत शीघ्र ही अपने प्रतिनिधि यहां भेज देंगी और इस महान् देश के लिये विधान निर्माण के इस बड़े काम में हाथ बटाएंगी। मैं उन प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करती हूं जो इस कमेटी में निर्वाचित किये जायेंगे, ताकि वे उसके काम में भाग ले सकें और अपना परामर्श देकर हमारा पथप्रदर्शन कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करती हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव पेश किया जाता है।

> ''यह परिषद् विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत-पद्धति द्वारा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों में से स्टीयरिंग कमेटी के दो अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन का निश्चय करती है।''

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान्, नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये चार स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, और वे निर्वाचित होंगे। अभी आपने हमें कृपा करके यह बताया है कि इस समय उनके केवल 16 प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित हैं और शेष 77 अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित सदस्यों के प्रति न्याय करने की दृष्टि से मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि आज केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाये और शेष तीन स्थानों के लिये निर्वाचन बाद में हों।

***अध्यक्षः** श्री कामत का संशोधन यह है कि दो स्थानों के बजाय आज सिर्फ एक ही स्थान के लिये निर्वाचन किया जाये।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** श्रीमान्, स्टीयरिंग कमेटी को दिन प्रतिदिन काम करना होता है और यदि आप उन लोगों के लिये ये स्थान खाली पड़े रहने दें जो आज यहां उपस्थित नहीं हैं, तो यह बात न तो स्वयं उनके लिये और

न इस सभा के अथवा स्टीयरिंग कमेटी के लिये ही अच्छी होगी। यद्यपि वास्तव में संचालन समिति के कार्य का सम्बन्ध बड़े-बड़े सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, फिर भी उसका काम बड़ा महत्त्वपूर्ण है और सभा के कार्य पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार में उन लोगों के स्थान रिक्त रखना उचित नहीं है जो इस सभा में नहीं शामिल हो रहे हैं और न हमारे लिये प्रतीक्षा करते रहना ही मुनासिब है। निस्संदेह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे उनके हितों को क्षति पहुंच सके और इसलिये हम किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय को पुनः उठा सकते हैं। अब चूंकि हमारे लिये उन्हें इस समिति में सम्मिलित कर लेने का अवसर है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। सभा को बाद में किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता है। इस समय यह वांछनीय है कि जो लोग इस सभा के काम में भाग लेने के लिये आयें उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाये।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गए इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि बाद में इन स्थानों की संख्या बढ़ा दी जायेगी, मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रस्ताव पर वोट लेने के लिये उसे उपस्थित करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** कल अपराह्न में दो बजे तक नामजदगी के पर्चे लिये जायेंगे और यदि चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो वह कमरा नं. 24 में शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा।

यूनियन के विषयों की कमेटी की रिपोर्ट

***अध्यक्षः** विधान-परिषद् के 25 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव के अनुसार संघीय विषयों के शेष की जांच करने के लिये नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, क्या केवल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है अथवा कोई प्रस्ताव पेश किया जा रहा है? प्रस्ताव का तो कोई नोटिस नहीं दिया गया।

***अध्यक्षः** यदि माननीय सदस्य तनिक प्रतीक्षा करें तो उन्हें पता चल जायेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं तो केवल संघीय विषयों से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित करने का रस्मी और नीरस कार्य कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में आज इस सभा के सन्मुख प्रस्ताव पेश करने का कोई इरादा नहीं है। यह कमेटी गत 25 जनवरी को मंत्री प्रतिनिधिमंडल के 16 मई के वक्तव्य में निर्दिष्ट केन्द्रीय विषयों के क्षेत्र और उनकी सूची की जांच करने और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों में सम्मिलित किये गए और उनके साथ पारस्परिक रूप से सम्बद्ध विषयों की सूची तैयार करने के उद्देश्यों से नियुक्त की गई थी। कमेटी ने अपना कार्य बारह सदस्यों को लेकर शुरू किया और श्रीमान्, आपको दस और सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि यदि मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में आने का निर्णय कर ले तो कुछ स्थानों पर उसके प्रतिनिधि मनोनीत कर दिये जाये और शेष स्थान भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को दे दिये जायें। जैसी कि इस समय स्थिति है, मुस्लिम लीग अभी तक विधान-परिषद् में नही शामिल हुई और जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व पं. जवाहरलाल ने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि रियासतों के लिये निर्धारित संख्या के अन्तर्गत उनके समस्त प्रतिनिधि मनोनीत करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया। परन्तु ऐसा करना संभव न हो सका परन्तु अपने विचार-विनिमय की बाद की स्थिति में हमें भारतीय रियासतों के दो प्रमुख प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त हो सका।

श्रीमान्, जैसा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तो सिर्फ एक नीरस कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं—मैं आज वह कार्य करने नहीं जा रहा था, जिसकी आशा मेरे माननीय मित्र श्री कामत मुझसे कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों के पास भेज दी गई हैं। अतः मेरे लिये उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार की विचार-विनिमय करने वाली परिषद् के सन्मुख केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय साधारणतः इस प्रकार की रिपोर्ट की विषय-सूची के सम्बन्ध में कोई भाषण नहीं दिया जाता। हां, इसके कुछ अपवाद अवश्य हैं जैसा कि श्री कामत ने उल्लेख किया था, अर्थात् जब रिपोर्ट पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव पेश किया जाये। आज इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया जा रहा है और न उन लोगों का ही ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने का इरादा है जिन्हें इस परिषद् के कार्य-संचालन का भार सौंपा गया है। उनका इरादा

इस अधिवेशन में सभा के सम्मुख इस तरह का कोई प्रस्ताव पेश करने का नहीं है। ऐसा फैसला करने के बहुत से कारण हैं। पहले तो, श्रीमान्, यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है, इसका विधान-निर्माण से गहरा सम्बन्ध है और ये नितान्त आवश्यक है कि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण विषय से सम्बन्ध रखने वाली रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व इस सभा के सदस्य उसका सतर्कतापूर्वक और मननपूर्वक अध्ययन करें। दूसरे फिर हमें यह भी स्मरण रखना है कि कमेटी को मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना के अनुसार कार्य करना पड़ा है। उस योजना में कुछ बड़ी असाधारण बातें हैं, और ये असाधारण बातें उसमें वस्तुतः इसलिये रखी हैं कि यदि कभी मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में शामिल होने का फैसला करे तो उसे संतुष्ट किया जा सके। सरकारी तौर पर अभी यह नहीं कहा गया है कि लीग के आने की संभावना नहीं रही है। अभी तक उनके आने की संभावना बनी हुई है। यद्यपि यह संभावना बहुत ही कम है। यदि यह संभावना पूरी हो गई तो यह न्यायसंगत ही नहीं बल्कि उचित भी हो गया कि संघ केन्द्र को दिये जाने वाले अधिकारों का विषयों जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर उस समय बहस होगी जबकि मुस्लिम लीग के समस्त प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित हों। इस परिषद् के जून- जुलाई के अधिवेशन से पूर्व यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जायेगा कि क्या मुस्लिम लीग उसमें शामिल होगी अथवा नहीं। और यही एक मुख्य कारण है कि हम इस अधिवेशन में इस विषय पर बहस नहीं कर रहे।

इसके बाद, श्रीमान्, भारतीय रियासतों का प्रश्न है—यद्यपि बहुत सी भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि आज इस परिषद् में सम्मिलित हो गए हैं, फिर भी अभी बड़ी संख्या में उनके प्रतिनिधि नहीं आये हैं। यह रियासतें अब तक अपने प्रतिनिधि इसलिये नहीं भेज रही है कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने और उन्हें यहां भेजने के लिये एक निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार काम करना है। और इसके लिये उन्हें समय चाहिये। इन कमेटी में जिस विषय का विवेचन किया गया है, भारतीय रियासतों का उससे गहरा सम्बन्ध है और यह सर्वथा वांछनीय है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने से पूर्व जहां तक संभव हो सके रियासतों के अधिक से अधिक प्रतिनिधि इस परिषद् में शामिल हो जायें। श्रीमान्, तीसरा प्रश्न उस राजनैतिक वार्तालाप का है जो इस समय चल रहा है। इस बातचीत का परिणाम और निर्णय अभी हमारे सामने नहीं आया। बहुत संभव है कि हमारे जून-जुलाई के अधिवेशन से पूर्व वह प्रकट हो जाये। यह निर्णय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होंगे और मेरा ख्याल है कि सभा मेरे इस विचार से सहमत होगी कि उनका इस परिषद् की उस कार्य सम्बन्धी योजना पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जिसका अनुसरण

[माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

उसे देश के लिए विधान-निर्माण करते समय करना होगा। और यदि यह निर्णय, जैसी कि आशंका है, आपको दो अथवा उससे अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त करने के सम्बन्ध में हुआ तो हो सकता है कि इस परिषद् के लिये मंत्रिमंडल की योजना पर कड़ाई के साथ अमल करना अनावश्यक हो जाये। इस समय मेरे लिए यह कहना अनावश्यक है कि परिषद् के लिये किन-किन दिशाओं में मंत्रिमंडल की योजना में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इन परिवर्तनों का स्वरूप इन्हीं राजनैतिक निर्णयों पर निर्भर होगा, लेकिन इन परिवर्तनों के अतिरिक्त केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों की संख्या, उनका क्षेत्र और उनकी व्याख्या संघ और प्रदेशों के एक अधिकार-क्षेत्र की परिभाषा और कानून सम्बन्धी और शासन सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में संघ और विभिन्न प्रदेशों के बीच सम्बन्ध इत्यादि सभी विषय ऐसे हैं, जिनकी हमें नये सिरे से और पूर्णतः समीक्षा करनी होगी। जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं यह समीक्षा हमें संघ विषय कमेटी और वर्तमान अधिवेशन में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित दो कमेटियों—जिनमें से एक संघ विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने के सम्बन्ध में होगी और दूसरी आदर्श प्रांतीय विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने के सम्बन्ध में के पारस्परिक घनिष्ट सहयोग से करनी होगी। इन दोनों कमेटियों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में रहकर काम करना होगा और यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सहयोग के आधार पर अपना काम प्रारंभ करने से पूर्व उनके सामने इन राजनैतिक निर्णयों को स्वरूप स्पष्ट हो जाना चाहिये और आशा है कि यह निर्णय उससे पहले ही हो जायेंगे।

श्रीमान्, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि संघीय विषयों से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर अगले अधिवेशन तक के लिये बहस स्थगित कर देना बहुत आवश्यक है और इसी कारणवश मैं इस रिपोर्ट पर आज ही विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं पेश कर रहा हूं।

एक और विषय रह जाता है, जिस के बारे में मेरा विचार है कि इस कमेटी ने जो कुछ किया है, उसकी स्वीकृति के लिए इस सभा की अनुमति ले लेनी चाहिए इस कमेटी की नियुक्ति से सम्बन्ध रखने वाले मूल प्रस्ताव में उससे अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले पेश करने को कहा गया था। वास्तव में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को हस्ताक्षर किये। श्रीमान्, मुझे पूर्ण आशा है कि सभा दो दिन के इस विलम्ब को क्षमा कर देगी।

अब मैं एक और विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को संघ विषय कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट नहीं समझाना चाहिए। मैंने आपके सामने वे कारण पहले से ही रख दिये हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुये इस कमेटी को अन्य कमेटियां के सहयोग से इस विषय पर फिर से सोच-विचार और समीक्षा करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर, भारतीय रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे विषय हैं, जिन पर संभवतः अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर इस अर्से में शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना कि दिया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में रियासतों के जो प्रतिनिधि अपने विचारों से हमें लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनका ख्याल है कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी और अधिक जांच करने की आवश्यकता है और जब तक ऐसा नहीं होता उनके लिये अन्तिम रूप से कोई फैसला या वायदा करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त कमेटी के कुछ सदस्यों का विचार है कि इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ और ऐसे मामले और सवाल हैं, जिनके बारे में अभी और अधिक सोच-विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा वह राजनैतिक निर्णय भी सन्निकट है जिसके अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो हमें अपनी संपूर्ण रिपोर्ट ही नये सिरे से तैयार करनी होगी इसलिये श्रीमान्, मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो इस कमेटी को अपनी एक और रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं केवल कमेटी की रिपोर्ट सभा के सन्मुख उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्षः** रिपोर्ट उपस्थित कर दी गई है। मैं समझता हूं कि सभा इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में दो दिन की देरी को क्षमा कर देगी और यदि कमेटी आवश्यक समझे तो उसे एक और रिपोर्ट पेश करने की भी अनुमति देगी।

यह सर्वसम्मति से मान लिया गया।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जब दूसरी रिपोर्ट पेश की जायेगी तो क्या इस रिपोर्ट पर विचार करने की अनुमति दी जायेगी? सभा के सन्मुख इस समय जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसका हमने एक वाक्य तक नहीं पढ़ा है।

***अध्यक्षः** हम रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पहले देख लें, और फिर अगले अधिवेशन में हम उस पर बहस कर सकते हैं।

[अध्यक्ष]

कल सुबह हमारी बैठक 8-30 बजे शुरू होकर 12-30 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद वह स्थगित हो जायेगी। जो सदस्य मौलिक अधिकार कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश करना चाहते हों उन्हें उसकी सूचना आज शाम 5 बजे तक दे देनी चाहिए। रिपोर्ट पर कल सुबह विचार किया जायेगा। अब सभा कल सुबह 8-30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके बाद असेम्बली मंगलवार 29 अप्रैल, सन् 1947 ई. को सुबह 8 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

परिशिष्ट (क)

भारतीय विधान-परिषद्

रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी के साथ बातचीत करने के लिये नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट।

विधान-परिषद् द्वारा 21 दिसम्बर सन् 1946 ई. को पास किये गए एक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि निम्नलिखित सदस्यों, अर्थात्:

(1) माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू

(2) माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

(5) श्री शंकरराव देव

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर

एक कमेटी होगी जो नरेन्द्रमंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों के साथ इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह:

(क) विधान-परिषद् की उन जगहों का वितरण तक करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के 16 मई, सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं,

(ख) विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करे।

और उसके बाद विधान-परिषद् के सामने बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी। 21 जनवरी, सन् 1947 ई. को पास किये गए एक और प्रस्ताव द्वारा हमें भूटान और सिक्किम की विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिये ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें हम उपयुक्त समझते हों, विचार विनिमय करने का अधिकार दिया गया और इस कार्य को रिपोर्ट परिषद् के सम्मुख पेश करने को कहा गया। इस रिपोर्ट में समझौते की केवल उसी बातचीत का उल्लेख किया गया है जो हमने 21 दिसम्बर के प्रस्ताव के अनुसार की थी।

(2) रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी के साथ हमारी संयुक्त बैठकों का पहला सिलसिला 8 और 9 फरवरी सन् 1947 से शुरू हुआ। बातचीत का मुख्य विषय यह रहा कि दोनों कमेटियों को किन-किन विषयों के सम्बन्ध में समझौते की बातचीत करनी चाहिए। रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक रियासतों ने विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का कोई निर्णय नहीं किया और उनके लिये इस सम्बन्ध में तब तक कोई फैसला करना संभव नहीं है जब तक कि उन्हें उन बहुत से प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक आश्वासन न मिल जाए जो नरेशों के साधारण सम्मेलन (परिशिष्ट-क) द्वारा 29 जनवरी, सन् 1947 को पास किये गए प्रस्ताव में उठाये गए हैं दूसरी ओर हमने यह बताया कि उनमें से अधिकांश प्रश्नों पर केवल पूर्णतः निर्मित विधान-परिषद् द्वारा ही जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे विचार किया जा सकता है; यह स्पष्ट था कि वे किसी भी हालत में हमारी कमेटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय नहीं थे। और स्वयं हमारा कार्यक्षेत्र भी केवल उन्हीं विषयों तक सीमित था जिनका उल्लेख विधान-परिषद् द्वारा 21 दिसम्बर, सन् 1946 को पास किये गए प्रस्ताव में किया गया था, लेकिन यद्यपि हम कमेटी के रूप में अपने निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र से बाहर जाने को तैयार नहीं थे, फिर भी हमने निजी रूप से नरेशों की कुछ कठिनाइयां और उनकी कुछ मिथ्या धारणाएं दूर करने के लिए उनके साथ मित्रतापूर्ण और अनियमित रूप से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस बातचीत के दौरान में जो मुख्य बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं, पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

''पहली चीज जिसे हमें साफ तौर पर समझ लेना चाहिये, यह है कि हमें मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य को पूर्णतः स्वीकार करते हुए अपना काम करना है। उस वक्तव्य के कानूनी पहलू के अलावा यह बात भी साफ जाहिर है कि यह योजना मुख्यतः ऐच्छिक है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा था, घटनाओं की बाध्यता के अतिरिक्त और कोई बाध्यता नहीं प्रतीत होती। निस्संदेह जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने इसे एक ऐच्छिक रूप में स्वीकार किया है, जिसमें जनता व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से या नरेशों अथवा और रूप में शामिल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो हम उसे इसमें सम्मिलित होने के लिये विवश नहीं कर रहे हैं। यह विषय तो शुरू से लेकर आखिर तक बातचीत करने और समझौता करने का है।

''योजना की स्वीकृति के अलावा जो कि एक आधारभूत चीज है, अब मैं कुछ ऐसे विषयों को लेता हूं, जो कल उठाये गये थे। इनमें से एक विषय

राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सम्बन्ध में था। यह प्रश्न न तो विधान-परिषद् में उठाया गया है, और जहां तक हमारा विचार है, न उक्त वक्तव्य में ही उसका उल्लेख है। हमारी ओर से विधान-परिषद् में और उसके बाहर भी यह बात बार-बार स्पष्ट कर दी गई है कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें यह मंजूर है और हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के कार्य में किसी प्रकार से भी बाधक नहीं बनना चाहते। यह चीज बिल्कुल साफ तौर पर कह दी गई है।

''हमने अपनी कल की बहस के दौरान में एक और सवाल प्रादेशिक सीमाओं के पुनर्विभाजन से सम्बन्ध रखने वाले आशंकाओं के सम्बन्ध में उठाया था। मैंने यह स्पष्ट करने का प्रश्न किया था कि विधान-परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे तैयार करने वालों अथवा उसके प्रस्तावकों के मस्तिष्क में रियासतों के सम्बन्ध में किये जाने वाले कोई परिवर्तन नहीं थे। उसका रियासतों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो इस बात का संकेत मात्र था कि विधान में अथवा प्रदेशों या रियासतों इत्यादि के पुनर्संगठन की कार्यप्रणाली में ऐसी अवस्था रहेगी जिसके अन्तर्गत संभवत: कुछ परिवर्तन आवश्यक समझे जायें। उसका सम्बन्ध सीमा सम्बन्धी परिवर्तनों से बिल्कुल नहीं था। मैं आर्थिक कारणों और शासन प्रबन्ध की सुविधाओं इत्यादि की दृष्टि से प्रादेशिक सीमाओं में परिवर्तन करने की बात मानने को तैयार हूं, परन्तु साथ ही हम यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का सीमा सम्बन्धी कोई भी पुनर्विभाजन दोनों सम्बन्धित दलों की राय से ही होना चाहिये और उसे हमें किसी पर जबरदस्ती से नहीं लादना चाहिये। मैं यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि फिलहाल हम ऐसी कोई बात नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल उठे तो उसके लिये दोनों सम्बन्धित दलों की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

''जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह योजना ऐच्छिक है। विधान-परिषद् में सम्मिलित होने अथवा बाद में जब विधान-परिषद् कोई निर्णय करेगी तो उसे मानने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा।

''जिस प्रकार अन्य किसी को किसी भी अवस्था में अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता रहेगी उसी प्रकार रियासतों को भी अपना दृष्टिकोण उपस्थित करने की पूरी आजादी रहेगी। इसलिये यह कदापि न समझना चाहिये कि किसी पर कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध लादी जायेगी।

''रियासतों के विषयों और अधिकारों के सम्बन्ध में जो थोड़ा-बहुत भ्रम पैदा हो गया है उसके बारे में हम साफ-साफ कह देना चाहते हैं कि हम इस मामले

में भी मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तृता को स्वीकार करते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर और निश्चित रूप से कहा गया है कि ''उन विषयों के अलावा जो यूनियन को दिये गये हैं, शेष सभी विषय और अधिकार रियासतों के पास रहेंगे''। ''यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह मंजूर है। हम उसे पूर्णत: स्वीकार करते हैं साधारणत: कल की बातचीत के दौरान में यही विषय उठाए गए थे और संभवत: इसी आधार पर अब हम इन विषयों पर विचार कर सकते हैं।''

''आगे हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधान-परिषद् यह मानने को तैयार नहीं है कि वह उन रियासतों के साथ बातचीत नहीं करेगी जिनके प्रतिनिधि नरेन्द्र-मंडल की निगोशियेटिंग कमेटी में शामिल नहीं हैं, और न वह यह मानने को तैयार है कि वह रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जबरदस्ती की भावना पाई जायेगी और यह बात जैसी कि इस योजना की विधान-परिषद् ने समझा है, उसके प्रतिकूल है।''

(3) उपर्युक्त विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप दोनों कमेटियों में साधारण समझौता हो जाने के बाद रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने उन दो विषयों पर विचार-विनिमय करना प्रारंभ किया, जिनके सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये हमें विधान-परिषद् द्वारा आदेश दिया गया था। प्रारंभिक विचार-विनिमय के बाद यह निर्णय किया गया कि रियासतों के लिए सुरक्षित 93 स्थानों के वितरण का प्रश्न परिषद् और नरेन्द्रमंडल के सेक्रेटेरियटों को सौंप दिया जाये और उनकी सिफारिश दोनों कमेटियों की अपनी बैठक में पहली मार्च, सन् 1947 ई. को पेश की जाये।

(4) इस बीच बड़ौदा के दीवान ने विधान-परिषद् में बड़ौदा के प्रतिनिधित्व के बारे में हमसे सीधे बातचीत करने के लिये पूछा था। तदनुसार हमने 9 फरवरी को सर बी.एल. मित्तर से भेंट की। उनके विचार-विनिमय के दौरान में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया कि बड़ौदा रियासत—उसके राजा और जनता—दोनों ने ही विधान-परिषद् के कार्य में पूर्ण सहयोग देने का निर्णय किया है और वे अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए तुरन्त ही कार्रवाई करने को तैयार हैं ताकि वे यथाशीघ्र विधान-परिषद् के कार्य में भाग ले सकें। हमारे और बड़ौदा के दीवान के बीच यह समझौता हुआ कि रियासत की आबादी के अनुसार बड़ौदा रियासत विधान-परिषद् में अपने यहां से तीन प्रतिनिधि भेज सकती है और उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तांतरण मत पद्धति से धारासभा द्वारा किया जाना चाहिये और इस निर्वाचन में उनके केवल निर्वाचित और मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य की भाग लें।

(5) दोनों कमेटियों की अगली संयुक्त बैठक पहली मार्च सन् 1947 ई. को हुई। इस बैठक में हमने इस बात पर जोर दिया कि सम्राट की 20 फरवरी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम और भी अधिक शीघ्रता और तेजी के साथ करना चाहिये और यदि रियासतों के प्रतिनिधि विधान-परिषद् के अप्रैल के अधिवेशन में शामिल हो सकें तो उससे न केवल रियासतों को बल्कि विधान-परिषद् तथा ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधियों को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। हमने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि 16 मई के घोषणा-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण इस दिशा में रियासतों के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित होती हो। हमने यह प्रस्ताव भी किया कि रियासतों के प्रतिनिधि तुरन्त ही उन कतिपय कमेटियों में काम कर सकें जो विधान-परिषद् द्वारा स्थापित की गई हैं, विशेष कर यूनियन पावर्स कमेटी और मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में एडवाइजरी कमेटी इत्यादि में तो उससे हम दोनों को ही लाभ पहुंचेगा। परन्तु रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने नरेशों की जनरल कांफ्रेंस के किसी आदेश के बिना इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए शीघ्र ही उस संस्था से सलाह-मशविरा करने का वायदा किया।

(6) इसके बाद हमने रियासतों के लिये निर्धारित 93 स्थानों के वितरण की प्रणाली पर विचार-विनिमय किया। कमेटियों ने दोनों सेक्रेटेरियटों (परिशिष्ट ख) द्वारा प्रस्तावित वितरण की स्वीकृति दी और उसमें ऐसे छोटे-मोटे संशोधन करने का भी अधिकार दिया जिन्हें दोनों सम्बन्धित दल आवश्यक समझें।

(7) इसके बाद हमने प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रणाली पर विचार किया। इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई एक संयुक्त सब-कमेटी में उपस्थित किये गए विदित प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ। अन्त में इस सब-कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दोनों कमेटियों ने यह सुझाव मान लिया कि रियासतों के कुल प्रतिनिधियों में से कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधि रियासतों की धारासभाओं के निर्वाचित सदस्यों अथवा जहां ऐसी धारासभायें न हों, अन्य निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जायेंगे। रियासतें यथासंभव निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी।

उसके बाद से नरेशों की जनरल कांफ्रेंस ने अपनी 2 अप्रैल की बैठक में इस सुझाव का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में कांफ्रेंस द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की एक प्रति परिशिष्ट (क) पत्र (3) के साथ जोड़ दी गई है।

हमने यह बताया कि जहां तक हैदराबाद और काश्मीर की रियासतों का सम्बन्ध है, वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले दो महत्त्वपूर्ण संगठनों द्वारा इन रियासतों की धारासभाओं के निर्वाचन का बहिष्कार कर दिया गया है। इसलिये उन धारासभाओं को जनता की प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। इन दोनों रियासतों के बारे में हमने प्रस्ताव किया कि विधान-परिषद् के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये कोई उचित तरीका निकाला जाये। नरेन्द्र मंडल के चांसलर ने कहा कि वे इसी सुझाव को सम्बन्धित रियासतों के पास पहुंचा देंगे।

(8) उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित संशोधनों और समय-समय पर उठने वाले अन्य विस्तृत मामलों पर विचार करने के लिये और यदि आवश्यक समझा जाए तो उनकी रिपोर्ट दोनों निगोशियेटिंग कमेटियों के सामने पेश करने के लिये निम्न सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई: (1) डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, (2) सर एन. गोपालस्वामी आयंगर, (3) सर बी.टी. कृष्णामाचार्य, (4) सर सुलतान अहमद, (5) सर बी.एन. राव, (6) मीर मकबूल अहमद, और (7) श्री एच.वी.आर. आयंगर।

हमें सूचित किया गया है कि बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, रीवां, कोचीन और बीकानेर की रियासतों ने पहले ही इस समझौते के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर लिया है। इन प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है। पटियाला, उदयपुर, ग्वालियर और भावनगर की रियासतों ने भी विधान-परिषद् के कार्य में भाग लेने की घोषणा कर दी है।

जवाहरलाल नेहरू

ए.के. आजाद

वल्लभभाई पटेल

एन. गोपालस्वामी

शंकरराव देव

बी. पट्टाभि सीतारमैया

नई दिल्ली :

24 अप्रैल, सन् 1947 ई.

परिशिष्ट (क) से सम्बद्ध पत्र-संख्या (1)

29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

1. यह सभा स्वीकृत योजना के अनुसार भारत के लिये एक स्वीकृत विधान के निर्माण में और उसके प्रस्तावित भारतीय यूनियन स्थापना में यथासंभव पूर्ण सहयोग देने के लिये रियासतों की आकांक्षा को पुनः प्रकट करते हुए घोषणा करती है।

(अ) अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बुनियादी बातों को आधार मानकर रियासतों द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना स्वीकृत की गई है:

(1) स्वीकृत योजना के अनुसार रियासतें भारतीय यूनियन में केवल समझौते के आधार पर ही शामिल होंगी और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रत्येक रियासत स्वयं करेगी। जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, प्रस्तावित यूनियन में केवल उन रियासतों अथवा रियासतों के समूहों के प्रदेश शामिल होंगे जो उसमें सम्मिलित होने का फैसला करेंगी और यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जायेगी कि इस बीच वे जो वैधानिक विचार-विनिमय करेंगी उसका उनके अन्तिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह निर्णय विधान की पूर्ण रूपरेखा पर विचार करने के बाद ही किया जायेगा।

(2) उन सभी विषयों और अधिकारों को छोड़कर जिन्हें वह स्वयं यूनियन को दे देंगी शेष सभी विषय और अधिकार रियासतों के पास ही रहेंगे। अंतरिम-काल के बाद सर्वोच्च सत्ता सम्भव हो जायेगी और न तो वह नयी भारत सरकार को हस्तान्तर की जायेगी और न वह उसे उत्तराधिकार से प्राप्त होगी। रियासतों द्वारा सर्वोच्च सत्ता को दिये गए सब अधिकार पुनः उनके पास आ जायेंगे। इसलिये, प्रस्तावित भारतीय यूनियन के विषयों के सम्बन्ध में रियासतों के मामले में केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो उसके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं, अथवा जो उसे रियासतों द्वारा दिये गये हैं। प्रत्येक रियासत अपनी सार्वभौम सत्ता और अपने सब अधिकार और शक्तियां उस सीमा के अतिरिक्त जिस सीमा तक वे अधिकार और शक्तियां स्पष्ट और निश्चित रूप से उसके द्वारा यूनियन को दी गई हैं, अपने पास ही रखेगी। जब तक रियासतों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर लिया जाये तब तक उनके सम्बन्ध में यूनियन में किसी अधिकार के निहित होने अथवा स्वाभाविक रूप से उसे कोई अधिकार प्राप्त होने अथवा परिणामतः उसके पास कोई अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यूनियन अथवा उसके किसी भी प्रवेश द्वारा किसी रियासत के विधान, उसकी प्रादेशिक अखंडता, और रियासतों के रिवाज, कानून और परंपरा के अनुसार उसके राजवंश के उत्तराधिकार के मामले में न तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जायेगा और न किसी रियासत की स्वतंत्र इच्छा और स्वीकृति के बिना उसकी वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन किया जायेगा।

(4) जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, विधान-परिषद् को केवल मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अनुसार यूनियन के विधान के सम्बन्ध में ही निर्णय करने का अधिकार है और उसे अलग-अलग रियासतों अथवा रियासतों के समूहों के विधानों अथवा आन्तरिक शासन व्यवस्था से सम्बद्ध प्रश्नों के बारे में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

(5) सम्राट की सरकार ने पार्लियामेंट में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि रियासतों की विधान-परिषद् में सम्मिलित होने और न होने का निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त रियासती संधियों और सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 12 मई, सन् 1946 ई. के स्मृति-पत्र में कहा गया है कि—''अन्तरिम काल के उपरान्त एक ओर भारतीय रियासतों और दूसरी ओर ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश भारत के बीच राजनैतिक प्रबन्ध समाप्त हो जायेंगे इस रिक्त स्थान की पूर्ति रियासतों को या तो ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार के साथ संघीय सम्बन्ध स्थापित करके करनी होगी अथवा उसके साथ विशिष्ट राजनैतिक प्रबन्ध करके''।

(ब) नरेन्द्रमंडल की स्थायी समिति द्वारा निर्वाचित और मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई, 1947 ई. के वक्तव्य के पैरा 27 के अनुसार श्रीमान् वाइसराय की प्रार्थना पर स्थापित की गई रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी ही एकमात्र ऐसी अधिकृत संस्था है जिसे मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अंतर्गत रियासतों की ओर से ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रारंभिक विचार-विनिमय करने का अधिकार है, जिनका सम्बन्ध नये भारतीय वैधानिक ढांचे के अंतर्गत उनकी स्थिति में है।

(स) यद्यपि विधान-परिषद् में रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों को आपस में वितरण करने के प्रश्न पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में कोई फैसला करने का अधिकार स्वयम् रियासतों को ही है, फिर भी सम्बन्धित रियासतों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन

की प्रणाली के बारे में रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी और ब्रिटिश भारत के लिये विधान-परिषद् की ऐसी ही कमेटी को एक-दूसरे से परामर्श कर लेना होगा।

2. यह सभा:—

(अ) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के प्रति रियासतों के रुख के सम्बन्ध में रियासती मंत्री समिति और वैधानिक सलाहकार समिति के परामर्श से नरेन्द्र-मंडल की स्थायी समिति द्वारा 10 जून सन् 1946 ई. को समाचार-पत्रों के नाम जारी किये गए वक्तव्य का समर्थन करती है, और

(ब) वह रियासती प्रतिनिधि-मंडल द्वारा 2 अप्रैल सन् 1946 ई. को मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के सम्मुख उपस्थित किये गये विचारों से सम्बन्ध रखने वाले उस सरकारी वक्तव्य का भी समर्थन करती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्वीकृत योजना के अनुसार भारत के लिये पूर्ण स्वायत्त शासन अथवा स्वाधीनता के लिये देश के जनसाधारण की आकांक्षा को रियासतों की भी आकांक्षा बताया गया है।

3. यह सभा निश्चय करती है कि इस प्रस्ताव के अनुसार और रियासतों की वैधानिक सलाहकार समिति के उन प्रस्ताव और आदेशों के अनुसार जिनका नरेशों की स्थायी समिति और रियासती मंत्रियों की समिति द्वारा समर्थन किया गया है, रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी को विधान-परिषद् की ब्रिटिश भारत की ऐसी ही कमेटी के साथ जिसकी रूपरेखा सम्राट की सरकार द्वारा बताई गई है और जिसके सम्बन्ध में उसने पार्लियामेंट में घोषणा की है—बातचीत करने का अधिकार दिया जाये जिससे कि वह (क) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य के पैरा 19 (6) के अन्तर्गत विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन में रियासतों के शामिल होने की शर्तों के सम्बन्ध में, और (ख) अखिल भारतीय यूनियन में उनकी अंतिम स्थिति के सम्बन्ध में, समझौता कर सके, किन्तु शर्त यह है कि इस समझौते की स्वीकृति उपर्युक्त रियासती समितियों द्वारा और उसका समर्थन रियासतों द्वारा होना चाहिये।

———

परिशिष्ट (क) के साथ सम्बद्ध पत्र-संख्या (2)

रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों के प्रस्तावित वितरण के सम्बन्ध में नोट

---

(1) स्थानों के बंटवारे की योजना, जिसका प्रस्ताव इस सूची में किया गया है, विधान-परिषद् और नरेन्द्रमंडल के सेक्रेटेरियटों द्वारा तैयार की गई है और वह सम्बन्धित कमेटियों के विचार-विनिमय का आधार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

(2) ब्रिटिश भारत की भांति प्रत्येक रियासत को साधारण दस लाख की आबादी के पीछे एक स्थान दिया गया है। तीन-चौथाई या उससे अधिक संख्यांश को एक पूर्ण सरकार मान लिया गया है और उससे कम संख्यांश को छोड़ दिया गया है। रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में आधे से अधिक संख्यांश को एक पूर्ण संख्या मान लिया गया है और उससे कम संख्यांश को छोड़ दिया गया है।

(3) यदि रियासतें चाहें तो वे अलग-अलग या सामूहिक रूप में अपने निर्धारित स्थानों को किसी अन्य रियासत अथवा समूह के साथ पारस्परिक समझौते द्वारा बांट सकती हैं अथवा एक दूसरे के साथ सम्मिलित कर सकती है, परन्तु शर्त यह होगी कि:

(क) रियासतों और समूहों अथवा समूहों के कुल स्थानों पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, और

(ख) भौगोलिक निकटता, आर्थिक और जाति सम्बन्धी प्रश्नों तथा सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी समानता पर उचित रूप से ध्यान दिया जाये।

सूची (क)

एकाकी रियासतें

सन्, 1935 ई. के भारतीय कानून की प्रथम सूची के दूसरे भाग से सम्बद्ध स्थानतालिका में जैसा विभाजन किया गया है।	रियासत का नाम	जनसंख्या दस लाख में	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या
1	2	3	4
1	हैदराबाद	16.33	16
2	मैसूर	7.32	7
3	काश्मीर	4.02	4
4	ग्वालियर	4.00	4
5	बड़ौदा	2.85	3
9	ट्रावनकोर	6.07	6
9	कोचीन	1.42	1
10	उदयपुर	1.92	2
10	जयपुर	3.04	3
10	जोधपुर	2.55	2
10	बीकानेर	1.29	1
10	अलवर	0.82	1
10	कोटा	0.77	1

1	2	3	4
11	इन्दौर	1.51	1
11	भोपाल	0.78	1
11	रीवां	1.82	2
13	कोल्हापुर	1.09	1
14	पटियाला	1.93	2
14	बहावलपुर	1.34	1
16	मयूर भंज	0.99	1
	20	61.86	60

सीमावर्ती समूह (ख)

विभाग	समूह की रियासतों के नाम	जनसंख्या दस लाख में		विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या	
1	2	3		4	
6	कलात	0.25			
	लास बेला	0.07			
	खरन	0.03		0.66	1
14	खैरपुर	0.31			
7	सिक्किम	0.12			
15	कूच बिहार	0.64		0.76	1

1	2	3	4	
15	त्रिपुरा	0.51		
15	मणिपुर	0.51	1.23	1
17	खासी रियासतें	0.21		
17	अम्ब	0.05		
17	चित्राला	0.10		
17	डीर	0.25	0.64	1
17	स्वात	0.26		
17	फुलेरा	0.01		
			3.32	4

आन्तरिक रियासतों के समूह (ग)

विभाग	समूह की रियासतों के नाम	जनसंख्या दस लाख में	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या
1	2	3	4
8	रामपुर बनारस	0.93	1
9	पडूकोटाई बंगनापले सांदुर	0.49	नीचे दिये गऐ विभाग 17 के अन्तर्गत अविशिष्ट समूह में सम्मिलित

1	2	3	4
10	भरतपुर		
	टोंक		
	धौलपुर		
	करौली		
(13 रियासतें)	बूंदी		
	सिरोही		
	डूंगरपुर	2.86	3
	बांसवाड़ा		
	प्रतापगढ़		
	झालावार		
	जैसलमेर		
	किशनगढ़		
11	शाहपुरा		
11	दत्तिया		
	ओरछा		
	धार		
	देवास (सीनियर)		
	देवास (जूनियर)		
	जावरा		
(26 रियासतें)	रतलाम		
	पन्ना		

1	2	3	4
12	समथर		
	अजयगढ़		
	बिजावर		
	चरखारी		
	छतरपुर		
	बावनी	3.11	3
	नागौद		
	मैहर		
	बरौंधा		
	बड़वानी		
	अलीराजपुर		
	झाबुआ		
	सैलाना		
	सीतामऊ		
	राजगढ़		
	नरसिंहगढ़		
	खिलचीपुर		
17	कुरवई		
12	कच्छ		
	ईदर		
	नावानगर		

1	2	3	4
	भावनगर		
	जूनागढ़		
	ध्रांगध्रा		
	गोंडल		
	पोरबन्दर		
(16 रियासतें)	मोर्वी	3.65	4
	राधनपुर		
	बांकानेर		
	पालीताना		
	ध्रोल		
	लिम्बडी		
	वधवान		
	राजकोट		
12-ए	जफराबाद		
	राजपीपला		
	पालनपुर		
	कैम्बे		
	धरमपुर		
	बलासीनौर		
	बरिया		
(15 रियासतें)	छोटा उदयपुर	1.69	2

1	2	3	4
	संत		
	लूनावाड़ा		
	वंसडा		
	साचिन		
	जवहार		
	दांता		
13	जंजीरा		
13	सांगली		
	सांवतवाडी		
	मुधौल		
	भोर		
	जामखंडी		
	मीराज (सीनियर)		
	मीराज (जूनियर)		
(14 रियासतें)	कुरुंदवाड (सीनियर)	1.56	2
	कुरुंदवाड (जूनियर)		
पडुकोटाई	अकालकोट		
बगगनापले			
और सांदुर	फल्टन		
	जाथ		
	औंध		
	रामदुर्ग		

1	2	3	4
	14 कपूरथला		
	जींद		
	नाभा		
	मंडी		
	बिलासपुर		
	सुकेत		
	टिहरी-गढ़वाल		
(14	रियासतें) सिरमौर	2.70	3
	चंबा		
	फरीदकोट		
	मलेरकोटला		
	लोहारू		
	17 कलसिया		
	बशहर		
	16 सोनापुर		
	पटना		
	कलाहंदी		
	कोएनझार		
	धेनकनाल		
	नयागढ़		
	ताचलेर		

1	2	3	4
	नीलगिरी		
	गंगपुर		
(25 रियासतें)	बमरा		
	सरायकेला		
	बौद		
	बोनाई	4.25	4
17	अथगढ़		
	पाललहरा		
	अथमलिक		
	हिंडोल		
	नरसिंगपुर		
	बारंबा		
	तिगिरिया		
	खांडपारा		
	रानपुर		
	दासपल्ला		
	रैराखोल		
	खरसबां		
16-ए	बस्तर		
	सरगूजा		

1	2	3	4
	रायगढ़		
	नन्दगांव		
	खैरागढ़		
	जशपुर		
(14 रियासतें)	कांकेर	28.1	3
	कोरिया		
	शरणगढ़		
17	चंगभाकर		
	छूईखादन		
	कावर्धा		
	सकती		
	उदयपुर		
17	शेष समस्त रियासतें जिनमें विभाग 9 में उल्लिखित तीन रियासतें भी शामिल हैं	4.26	4
		27.82	29

परिशिष्टि (क) के साथ सम्बद्ध पत्र-संख्या 3

2 अप्रैल, सन् 1947 ई. को बम्बई में नरेशों की सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

(1) यह कांफ्रेंस पुनः यह प्रकट करती है कि रियासतें देश की स्वतंत्रता को समर्थन करती हैं और उनकी यह इच्छा है कि वे एक स्वीकृत विधान के निर्माण में यथासंभव पूर्ण सहयोग दें और किसी स्वीकृत आधार पर सत्ता हस्तान्तरण करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जायें उनमें पूर्ण सहयोग दें। यह कांफ्रेंस 29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की जनरल कांफ्रेंस और रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का भी पुनः समर्थन करती है।

(2) यह कांफ्रेंस विधान-परिषद् में रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों के वितरण और रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली के सम्बन्ध में रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी और विधान-परिषद् द्वारा स्थापित की गई ऐसी ही कमेटी के बीच हुए साधारण समझौते का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त वह आधारभूत विषयों के सम्बन्ध में उनके उस विचार-विनिमय की भी पुष्टि करती है जो 8 और 9 फरवरी तथा 1 और 2 मार्च की उनकी बैठकों में विचार किया गया था, परन्तु शर्त यह है कि विधान-परिषद् द्वारा उनका समझौता स्वीकार कर लिया जाये।

(3) यह रियासतों द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना का पूर्ण रूप से पालन करने के उनके पिछले निर्णय का पुनः समर्थन करती है, जिसके अन्तर्गत उन रियासतों के प्रतिनिधि जो विधान-परिषद् में शामिल होना चाहते हों उस वक्त विधान-परिषद् में शामिल हो सकते हैं। जब कि मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना के अनुसार यूनियन के विधान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये उसका अधिवेशन बुलाया जाये। लेकिन शर्त यह है कि रियासतों के प्रतिनिधियों के उसमें शामिल होने से पूर्व विधान-परिषद् आधारभूत बातों और अन्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख प्रस्ताव संख्या 2 में किया गया है, दोनों निगोशियेटिंग कमेटियों के साधारण समझौते को स्वीकार कर ले।

(4) इस कांफ्रेंस को यह जान कर प्रसन्नता हुई कि श्री एटली के 20 फरवरी, सन् 1947 ई. के वक्तव्य द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की इस घोषणा की पुनः पुष्टि हो जाती है कि अन्तरिम काल की समाप्ति पर सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सभी अधिकार जो रियासतों ने सर्वोच्च सत्ता को

दे दिये थे उन्हें पुनः वापस मिल जायेंगे और स्वतंत्र प्रदेशों के रूप में उन्हें अन्य सम्बन्धित लोगों के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में समझौता करने की आजादी होगी।

(5) यह कांफ्रेंस रियासतों के आन्तरिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी पिछली सिफारिशों का पुनः समर्थन करती है, और जहां कहीं अधिक आवश्यक हो, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता और महत्त्व पर पुनः जोर देती है।

(6) श्री एटली के 20 फरवरी, सन् 1947 ई. के वक्तव्य के कारण हमें अपना काम बड़ी तेजी के साथ करना है इसलिये यह कांफ्रेंस चांसलर और नरेन्द्र-मंडल की स्थायी समिति को रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी अथवा किन्हीं दूसरी ऐसी सब-कमेटियों के जरिये जो स्थायी समिति द्वारा नियुक्त की जायें, साधारणतः रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले निम्न प्रश्नों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार देती है:—

(क) सम्राट के प्रतिनिधि के साथ सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों और प्रस्तावित सत्ता हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनका प्रभाव रियासतों पर पड़ता हो-बातचीत करे और (ख) और रियासतों की संधियों और सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के 12 मई, सन् 1946 ई. के स्मृतिपत्र के पैरा 4 के अनुमति उल्लिखित विषयों के बारे में अंतःकालीन सरकार और अधिकृत ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करे, बशर्ते कि (1) यह बातचीत 29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की जनरल कांफ्रेंस द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अनुसार हो और रियासतों की वैधानिक सलाहकार समिति के उन आदेशों और प्रस्तावों के अनुसार हो, जिसका समर्थन नरेशों की स्थायी समिति और रियासती मंत्रियों की समिति द्वारा किया गया है। (2) किन्तु शर्त यह है कि इस समझौते की स्वीकृति उपयुक्त रियासती समितियों द्वारा और उसका समर्थन रियासतों द्वारा होना चाहिये।

(7) यह कांफ्रेंस श्रीमान्, चांसलर महोदय से प्रार्थना करती है कि वे सम्राट के प्रतिनिधि से लिखा-पढ़ी करें ताकि सत्ता हस्तान्तरित करने से पूर्व रियासतों से अलग-अलग सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार द्वारा सन्तोषजनक निर्णय शीघ्र ही किया जा सके।

परिशिष्ट (ख)

भारतीय विधान-परिषद्

विधान-परिषद् की यूनियन पावर्स कमेटी की रिपोर्ट

यूनियन के अधिकारों की सीमा जांचने के लिये विधान-परिषद् के 25 जनवरी के प्रस्तावानुसार नियुक्त समिति के हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता परिषद् की सेवा में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करते हैं। सर वी.टी. कृष्णामाचार्य और सर बी.एल. मित्तर 10 अप्रैल, सन् 1947 ई. को समिति के लिये मनोनीत किये गये थे। हम शेष सदस्यों को उक्त सज्जनों के साथ मिलकर, सारी बातों पर पुनः विचार करने का मौका मिला है।

2. हमारे विचार में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई के वक्तव्य में रक्षा, वैदेशिक मामले, तथा यातायात इन तीनों विषयों की जो सीमा दी गई है उसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं:

(क) ''रक्षा'' से बोध होता है यूनियन और उसके हर भाग की रक्षा जिसमें आमतौर पर बचाव की सारी तैयारी शामिल है तथा युद्ध के समय किये जाने वाले ऐसे सारे काम, जिनसे सफलतापूर्वक युद्ध-संचालन में और युद्धोपरान्त सेना-विघटन में सहूलियत मिलती हो, शामिल है। खासतौर पर ''रक्षा'' में ये बातें शामिल हैं:

(1) जल-सेना, स्थल-सेना और आकाश-सेना की भर्ती। शिक्षा, निर्वाह और नियंत्रण तथा यूनियन की रक्षा के लिये यूनियन और उसके प्रदेशों के कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये उक्त सेनाओं को काम में लाना; देशी रियासतों में संघठित और नियुक्त सशस्त्र सेनाओं की संख्या और उनका संगठन और नियंत्रण।

(2) रक्षा-सम्बन्धी उद्योग-धंधे।

(3) जल-सेना, स्थल-सेना और आकाश-सेना से सम्बन्ध रखने वाले कल-कारखाने।

(4) फौजी छावनी वाले इलाके का स्थानीय स्वशासन, फौजी छावनी वाले इलाकों के अधिकारियों की स्थापना और उनके अधिकार तथा इन इलाकों में वासस्थान सम्बन्धी व्यवस्था और इन इलाकों की सीमाबन्दी।

(5) हथियार, बारूद वाले हथियार, गोलीबारूद और विस्फोटक पदार्थ।

(6) परमाणु शक्ति और ऐसे खनिज पदार्थ जो इसके उत्पादन के लिये आवश्यक हैं।

जिससे कि यूनियन सरकार अपनी रक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सके, हम इस बात की ओर सिफारिश करते हैं कि इसको वैसे ही अधिकार दिये जायें जैसे सन् 1935 ई. के इंडिया एक्ट की धारा 102 और 126 (अ) में है।

(ख) ''वैदेशिक मामले''—इससे उन सभी बातों का बोध होता है जिनसे यूनियन सरकार का किसी भी दूसरे देश से सम्बन्ध पड़ता हो। खासतौर पर इसमें ये बातें शामिल हैं:

(1) कूटनीति, दूतावास और व्यापार सम्बन्धी प्रतिनिधित्व।

(2) संयुक्त राष्ट्रसंघ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों तथा अन्य संस्थाओं में शामिल होना और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(4) युद्ध और शान्ति।

(5) दूसरे देशों के साथ सन्धि और समझौता करना तथा उनको कार्यान्वित करना।

(6) दूसरे देशों के साथ व्यवसाय-वाणिज्य।

(7) वैदेशिक ऋण।

(8) विदेशियों का देशीकरण।

(9) अपराधी भगोड़ों का आदान-प्रदान।

(10) पासपोर्ट और विजास् (विदेश यात्रा के लिए और विदेश के यात्रियों को प्रमाण-पत्र)।

(11) वैदेशिक अधिकार सीमा।

(12) सामुद्रिक अधिकार-क्षेत्र।

(13) राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ सामुद्रिक डकैती और सामुद्रिक अपराध तथा आकाश के अपराध।

(14) यूनियन में आने देना तथा यूनियन से बाहर प्रवास और निष्कासन।

(15) संक्रामक रोग के लिये क्रारेन्टिन (इलाज) की व्यवस्था।

(16) यूनियन सरकार द्वारा निर्धारित चुंगी सीमा के बाहर और भीतर से आयात और निर्यात।

(17) यूनियन की जल-सीमा के बाहर समुद्र में मछली पकड़ना, और मछली वाले स्थान।

(ग) ''यातायात' शब्द यद्यपि इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सभी स्थानों का सम्पर्क आ जाता है पर यूनियन के तत्कालिक प्रयोजन के लिये हमारी राय में इसमें ये शामिल होने चाहिये:

(1) आकाश के मार्ग।

(2) स्थल-मार्ग और जल-मार्ग जिसे यूनियन ने अपना-स्थल और जलमार्ग घोषित कर दिया हो।

(3) जहां तक मशीन से चलने वाले जहाजों का सम्बन्ध है, देश के भीतरी जल-मार्गों में जिसे यूनियन ने अपना मार्ग घोषित कर दिया हो, जहाज चलाना और जहाजी तिजारत करना, ऐसे जल-मार्गों के यातायात सम्बन्धी नियम तथा इन जल-मार्गों से माल और मुसाफिरों को ले जाना।

(4) डाक और तार।

(क) मगर शर्त यह है कि यूनियन की स्थापना के दिन किसी प्रदेश को जो भी अधिकार प्राप्त रहेंगे वे तब तक उसके ही रहेंगे जब तक कि यूनियन और सम्बन्धी प्रदेश के बीच समझौते के जरिये ये परिवर्तित या रद्द न कर दिये जायें। पर नियंत्रण और व्यवस्था के लिये कानून बनाने का अधिकार यूनियन को ही होगा।

(ख) यूनियन के टेलीफोन, वायरलेस, ब्राडकास्टिंग और सम्वाद भेजने के ऐसे साधन, तथा यूनियन के सिवाय अन्य टेलीफोन, वायरलेस, ब्राडकास्टिंग और सम्वाद भेजने के ऐसे अन्य साधनों का नियन्त्रण और उनकी व्यवस्था।

(5) यूनियन की सारी रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से हल्की रेलों के सिवा सभी रेलों की व्यवस्था, अधिक से अधिक और कम से कम महसूल और किराया, स्टेशन और सर्विस टर्मिनल टैक्स और मुसाफिरों का एक रेलवे से दूसरी रेलवे में तबादला तथा माल और मुसाफिरों को स्थानान्तरित करने की दृष्टि से रेलवे के शासन-प्रबन्ध की जिम्मेदारी। सुरक्षा की दृष्टि से हल्की रेलों की व्यवस्था तथा माल मुसाफिरों को स्थानान्तरित करने की दृष्टि से इनके शासन प्रबन्ध की जिम्मेदारी।

(6) समुद्री जहाजरानी जिसमें ज्वारभाटा वाले जल में जहाजरानी भी शामिल है, तथा सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र।

(7) बड़े-बड़े बन्दरगाह यानी इन बन्दरगाहों को घोषित करना और उनकी सीमाबन्दी करना, तथा इनके पोर्ट अधिकारियों की स्थापना और उनके अधिकार।

(8) हवाई जहाज और हवाई जहाजों का चलाना, हवाई अड्डों का प्रबन्ध तथा हवाई अड्डों और हवाई यातायात की व्यवस्था और इनका संगठन।

(9) रोशनी के मीनार यानी जल-मार्गों के प्रकाश-स्तम्भ जिसमें रोशनी देने वाले जहाज तथा जहाजों और हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिये प्रकाश संकेत और व्यवस्थायें भी शामिल हैं।

(10) समुद्र और आकाश के मार्ग से माल और मुसाफिरों को ले जाना।

(11) यूनियन की मौसम का हाल बताने वाली संस्थाएं।

(12) संक्रामक रोगों के लिये क्वारेन्टिन (इलाज) का प्रबन्ध।

(घ) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में आये हुए इस खंड में कि यूनियन के विषयों के लिये ''आवश्यक धन जुटाने के लिये जरूरी अधिकार''—कर और ऋण द्वारा धन जुटाना भी आवश्यक रूप से सम्मिलित है। वर्तमान परिस्थिति में यूनियन की आय के लिये हम इन साधनों की सिफारिश करते हैं।

(1) आयात और निर्यात कर।

(2) आबकारी कर।

(3) कारपोरेशन टैक्स।

(4) कृषिजन्य आय को छोड़ कर अन्य आयों पर कर।

(5) व्यक्ति और कम्पनियों की कृषिजन्य सम्पति के सिवा अन्य जायदादों की पूंजीगत मूल्य पर कर तथा कम्पनियों की पूंजी पर कर।

(6) कृषि-भूमि के सिवा अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

(7) कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर।

(8) यूनियन के अधिकार की सूची में दिये हुए विषयों के सम्बन्ध में प्राप्त फीस, पर यूनियन अदालत के अलावा अन्य प्रदेशों की अदालतों की फीस इसमें नहीं शामिल होगी।

हम जानते हैं कि औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में रियासतों की प्रगति एक-सी नहीं है और ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की स्थिति बहुत सी बातों में असमान है। वर्तमान में उपरोक्त कुछ करों की व्यवस्था भारत सरकार तथा रियासतों के आपसी समझौते के अनुसार की जाती है। इसलिये हम समझते हैं कि शायद यह संभव न हो सकेगा कि समूची यूनियन में एकबारगी एक समान टैक्स लगाया जाये। हमारी सिफारिश है कि समूची यूनियन के टैक्सों की एकरूपता यूनियन की स्थापना के बाद एक तयशुदा मुद्दत के लिये, जो 15 वर्षों से ज्यादा की न हो, स्थगित रखी जाये और उपरोक्त करों को लगाने, वसूल करने तथा उन्हें भिन्न-भिन्न

प्रदेशों में विभाजित करने का काम यूनियन सरकार और प्रदेशों के बीच समझौते के अनुसार किया जायेगा। इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये विधान में अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिये।

मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में निर्मित उपसमिति की अन्तर्देशीय चुंगी, कर-सम्बन्धी सिफारिशों के अलावा ये सिफारिशें ऊपर से हैं।

3. यूनियन के स्पष्ट व्यक्त अधिकारों के अतिरिक्त जो अन्य अन्तर्वर्तीय या परिणामजन्य अधिकार हैं उनकी संख्या स्थिर करना असम्भव है। हमारी समझ में कम से कम ये अधिकार इस श्रेणी में आते हैं—

(1) यूनियन के न्यायालय।

(2) यूनियन के कामों के लिये सम्पत्ति लेना।

(3) अनुसंधान सम्बन्धी काम के लिये पेश या विशेष कलाओं की शिक्षा के लिये अथवा विशेष अध्ययन की समुन्नति के लिये स्थापित यूनियन की एजेंसियां और संस्थायें।

(4) मर्दुमशुमारी।

(5) यूनियन अधिकारों की सूची में जो बातें दी गयी हैं उनके सम्बन्ध में कानून के खिलाफ अपराध।

(6) यूनियन के कामों के लिये अनुसंधान, पैमाइश और आंकड़ों का संकलन।

(7) यूनियन की नौकरियां।

(8) यूनियन कर्मचारियों के कल-कारखानों सम्बन्धी झगड़े।

(9) हिन्दुस्तान का रिजर्व बैंक।

(10) यूनियन की सम्पत्ति और उसकी आय।

(11) यूनियन का सरकारी कर्ज।

(12) यूनियन का सिक्का, सिक्के की ढलाई और कानूनी सिक्का।

(13) यूनियन इलाकों से सम्बन्ध रखने वाले सारे विषय।

(14) यूनियन के किसी भाग में उपस्थित यूनियन पर असर डालने वाली गम्भीर आकस्मिक आर्थिक स्थिति के निराकरण का अधिकार।

4—हमारी राय है कि नये विधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे प्रदेशों के सारे कानून सरकारी हुक्म और अदालती फैसलों के रिकार्ड यूनियन भर में माने जायें और एक प्रदेश का अदालती फैसला दूसरे प्रदेश में भी लागू किया जा सके। हम जानते हैं कि इस आशा की व्यवस्था मौलिक अधिकारों की सूची में की जा चुकी है।

5—उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त जो हमारी समझ में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य के अनुसार यूनियन अधिकारों की सीमा के अन्दर आते हैं, हमें आशा है कि निम्नलिखित विषय भी समझौते के जरिये यूनियन अधिकारों की सूची में शामिल कर लिये जायेंगे:

(1) बीमा।

(2) कम्पनी कानून।

(3) बैंक व्यवसाय।

(4) विनिमय-साध्य कागजात।

(5) पेटेन्ट्स (आविष्कार के उपयोग के एकाधिकार), ट्रेड मार्क्स, ट्रेड डिजाइन और मुद्रणाधिकार (कापी राइट)।

(6) योजनाकरण।

(7) प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक चिह्न।

(8) प्रमाणिक माप-तोल।

इस तरह की व्यवस्था व्यापार और व्यवसाय वाणिज्य के मामलों में यूनियन के सारे प्रदेशों में एकरूपता स्थापित कर देगी जैसा कि वस्तुतः बहुत से संघ विधानों में स्वीकार किया जा चुका है। हमने उपरोक्त सूची में प्लानिंग (योजनाकरण)

को भी शामिल कर लिया है। इसका कारण यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न विषयों के सम्बन्ध में प्रदेशों को अधिकार हो सकता है पर यह स्पष्ट रूप से उनके लिये हितकर होगा कि उनको मदद देने के लिये कोई एकीकरण का साधन हो।

6—हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि आस्ट्रेलियन-विधान कानून की धारा 51 के आर्टिकिल (35) के आधार पर व्यवस्था विधान में रखी जाये।

7—हम इस बात की भी सिफारिश करते हैं कि यूनियन और प्रदेशों के सहगामी विषयों की एक सूची आपसी समझौता से तैयार की जाये।

—जवाहरलाल नेहरू

—गोविन्दबल्लभ पन्त

—बी.एल. मित्तर

—जयरामदास दौलतराम

—एन. गोपालस्वामी आयंगर

—के.एम. मुंशी

—बी.टी. कृष्णामाचारी

—बी. पट्टाभि सीतारमैया

—विश्वनाथ दास

—ए. कृष्णास्वामी अय्यर

नई दिल्ली,
17 अप्रैल, सन् 1947 ई.